छत्तीसगढ़ शासन

श्रम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष : 2022-23

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा ''मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना'' के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित करते हुए

माननीय श्रम मंत्री जी एवं माननीय गृहमंत्री जी द्वारा हितग्राहियों को लाभांवित करते हुए

वर्ष : 2022 - 23

विभाग का नाम	—	**श्रम विभाग**
मंत्री	-	डॉ. शिवकुमार डहरिया
सचिव	-	श्री अमृत कुमार खलखो (आई.ए.एस.)
उप सचिव	-	श्री आशुतोष पाण्डेय
अवर सचिव	-	श्री राकेश साहू

विभागाध्यक्ष

1.	अध्यक्ष, राज्य औद्योगिक न्यायालय	-	श्री रविशंकर शर्मा
2.	श्रमायुक्त	-	श्री अमृत कुमार खलखो (आई.ए.एस.)
3.	संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें	-	श्री अमृत कुमार खलखो (आई.ए.एस.)
4.	मुख्य कारखाना निरीक्षक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	-	श्री अमृत कुमार खलखो (आई.ए.एस.)

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

अध्यक्ष	-	डॉ. शिवकुमार डहरिया, माननीय श्रम मंत्री

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

अध्यक्ष	-	माननीय श्री सुशील सन्नी अग्रवाल

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल

अध्यक्ष	-	माननीय श्री शफी अहमद
उपाध्यक्ष	-	माननीय श्री केशव बंटी हरमुख

अनुक्रमणिका

क्र.	शीर्षक	पृष्ठ
1	श्रम विभाग का दायित्व	1
2	श्रम विभाग की संरचना	2
3	श्रमायुक्त संगठन का अमला	3 – 4
4	श्रमायुक्त संगठन का बजट – वर्ष 2022–23	5
5	श्रम अधिनियम एवं क्रियान्वयन का दायित्व	6 – 7
6	औद्योगिक विवाद एवं औद्योगिक संबंध	8
7	व्यवसाय संघ	9
8	श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन	10 – 14
9	शिकायत निवारण की स्थिति	15
10	उपादान भुगतान	16
11	बोनस	16
12	श्रमिकों के विशेष वर्गों के लिये प्रावधान	17 – 20
	12.1 बालक एवं किशोर श्रम	17 – 18
	12.2 पेंसिल पोर्टल	18
	12.3 बीड़ी श्रमिक	18
	12.4 बंधक श्रम	19 – 20
13	श्रम यशस्वी पुरस्कार	21
14	न्यूनतम वेतन	21 – 23
15	संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़	24 – 27
16	लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें	28
17	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल	29 – 32
18	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल	33 – 46
19	छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल	47 – 58
20	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	59
21	छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति – 2020	60–61
22	असंगठित श्रमिकों का Nationl Database of Unorganised Workers (NDUW) Portal ई–श्रम पोर्टल में पंजीयन	61
23	राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़	62
24	कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़	63 – 65

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी ''श्रमिक दिवस सम्मेलन''
में हितग्राहियों से मुलाकात करते हुए

माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय श्रम मंत्री जी ''श्रमिक दिवस सम्मेलन''
में हितग्राहियों से मुलाकात करते हुए

1. श्रम विभाग का दायित्व

विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधान अनुरूप श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करना विभाग का मुख्य दायित्व है। श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हितों का संरक्षण करते हुए औद्योगिक शांति स्थापित कर औद्योगिक विकास में योगदान दिया जाता है। विभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन, श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य हितलाभ का संरक्षण तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है।

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिको को व्यवसायजन्य बीमारी से सुरक्षित करने हेतु अधिनियम अंतर्गत निर्धारित मापदंडो का पालन करवाता है, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य दशा तथा स्वस्थ कार्यवातावरण उपलब्ध हो सके।

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत आपराधिक एवं श्रमिकों के वेतन दावों के प्रकरणों सहित श्रमिकों के सेवा शर्तों एवं विवादों के निराकरण/निर्धारण हेतु राज्य में औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय की स्थापना की गयी है।

प्रदेश में संगठित श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिये कल्याणकारी योजनाओं के संचालन हेतु छत्तीसगढ श्रम कल्याण मण्डल, भवन एवं अन्य सन्निर्माण में लगे निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के लिये छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित कामगारों एवं उनके परिवार के कल्याण हेतु छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन किया गया है। उक्त मण्डलों द्वारा श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है।

2. श्रम विभाग की संरचना

श्रम मंत्री
↓
सचिव (श्रम)
↓

श्रमायुक्त → मुख्यालय

अपर श्रमायुक्त
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- विधि अधिकारी
- सहा0 लेखाधिकारी
- सहा0 श्रम पदाधिकारी
- अधीक्षक

मैदानी कार्यालय
- सहा0 श्रमा0 रायपुर
- सहा0 श्रमा0 दुर्ग
- सहा0 श्रमा0 कोरबा
- सहा0 श्रमा0 बिलासपुर
- सहा0 श्रमा0 रायगढ़
- श्रम पदा0 राजनांदगांव
- श्रम पदा0 जगदलपुर
- श्रम पदा0 जांजगीर–चांपा
- श्रम पदा0 अंबिकापुर
- श्रम पदा0 महासमुन्द
- श्रम पदा0 कबीरधाम
- श्रम पदा0 धमतरी
- श्रम पदा0 कांकेर
- श्रम पदा0 कोरिया
- श्रम पदा0 बालोद
- श्रम पदा0 बलौदाबाजार
- श्रम पदा0 गरियाबंद
- श्रम पदा0 मुंगेली
- श्रम पदा0 जशपुर
- श्रम पदा0 सूरजपुर
- श्रम पदा0 बलरामपुर
- श्रम पदा0 बेमेतरा
- श्रम पदा0 कोण्डागांव
- श्रम पदा0 सुकमा
- श्रम पदा0 नारायणपुर
- श्रम पदा0 बीजापुर
- श्रम पदा0 दन्तेवाड़ा
- श्रम पदा0 गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
- उप संचालक
- सहायक संचालक

मैदानी कार्यालय
- उप संचा0 रायपुर
- उप संचा0 दुर्ग
- उप संचा0 बिलासपुर
- उप संचा0 रायगढ़
- उप संचा0 राजनांदगांव
- उप संचा0 कोरबा
- उप संचा0 हाईजिन लैब, रायपुर
- सहा0 संचा0 जांजगीर–चांपा
- सहा0 संचा0 बलौदाबाजार
- सहा0 संचा0 जगदलपुर
- सहा0 संचा0 अंबिकापुर

संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें

मुख्यालय → संचालक
- बीमा चिकित्सा पदा0 (प्रथम श्रेणी)
- बीमा चिकित्सा पदा0 (द्वितीय श्रेणी)
- लेखा अधिकारी

मैदानी कार्यालय → जिलेवार औषधालय
- रायपुर (8)
- दुर्ग (9)
- कोरबा (5)
- बिलासपुर (3)
- रायगढ़ (7)
- राजनांदगांव (3)
- जांजगीर–चांपा (2)
- धमतरी (1)
- बलौदाबाजार (3)
- गरियाबंद (1)

औद्योगिक न्यायालय

अध्यक्ष
- अध्यक्ष: अध्यक्ष औद्योगिक न्यायालय (मुख्यालय) → श्रम न्यायालय
  - पीठासीन अधि0, रायपुर (2)
  - पीठासीन अधि0, बिलासपुर
  - पीठासीन अधि0, दुर्ग
  - पीठासीन अधि0, राजनांदगांव
  - पीठासीन अधि0, अंबिकापुर
  - पीठासीन अधि0, रायगढ़
  - पीठासीन अधि0, कोरबा
  - पीठासीन अधि0, धमतरी
  - पीठासीन अधि0, जांजगीर–चांपा
  - पीठासीन अधि0, बलौदाबाजार
  - पीठासीन अधि0, महासमुंद
  - पीठासीन अधि0, मनेन्द्रगढ़
  - पीठासीन अधि0, जगदलपुर
- खण्डपीठ (औद्योगिक न्यायालय): बिलासपुर — सदस्य न्यायाधीश

छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल

अध्यक्ष → उपाध्यक्ष → कल्याण आयुक्त, रायपुर → जिलेवार संचालित कल्याण केन्द्र
- रायपुर (5)
- दुर्ग (3)
- कोरबा (3)
- बिलासपुर (3)
- राजनांदगांव (2)
- जांजगीर–चांपा (1)

छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

अध्यक्ष → सचिव
- लेखाधिकारी
- योजनाधिकारी

छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

अध्यक्ष → सचिव
- उप श्रमायुक्त
- सहायक श्रमायुक्त
- श्रम पदाधिकारी
- लेखाधिकारी

संकेत

श्रमा0= श्रमायुक्त	औ0स्वा0सु0= औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा
संचा0= संचालक	बी.चिपदा= बीमा चिकित्सा पदाधिकारी
सहा0= सहायक	अधि0= अधिकारी
पदा0= पदाधिकारी	(....) = औषधालयों / केन्द्रों की संख्या

3 श्रमायुक्त संगठन का अमला

(31.12.2022 की स्थिति में)

क्र.	पदनाम	श्रेणी	मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृत पद			भरे पद			रिक्त पद			रिमार्क
				सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	सीधी भर्ती	पदोन्नति	योग	
1	श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	17	1	–	1	1	–	1	–	–	–	–
2	अपर श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	15	–	2	2	–	2	2	–	–	–	–
3	संचालक, औ. स्वा. एवं सुरक्षा	प्रथम श्रेणी	15	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
4	उप श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	14	–	3	3	–	3	3	–	0	0	–
5	सहायक श्रमायुक्त	प्रथम श्रेणी	13	–	7	7	–	6	6	–	1	1	–
6	उप संचालक, औ.स्वा. एवं सुरक्षा	प्रथम श्रेणी	13	–	8	8	–	8	8	–	0	0	–
7	उप संचालक (चिकित्सा)	प्रथम श्रेणी	13	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
	योग :–			1	22	23	1	19	20	0	3	3	
8	श्रम पदाधिकारी	द्वितीय श्रेणी	12	9	19	28	4	11	15	5	8	13	–
9	लेखा अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	12	1	–	1	–	–	_	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
10	सहायक संचालक	द्वितीय श्रेणी	12	20	–	20	14	–	14	6	0	6	
11	सहायक संचालक (चिकित्सा)	द्वितीय श्रेणी	12	2	–	2	2	–	2	–	–	–	प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत
12	सहायक संचालक, हाईजीन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	द्वितीय श्रेणी	12	1	–	1	1	–	1	–	–	–	
13	विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	12	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
	योग :–			34	19	53	21	11	32	13	8	21	
14	सहायक श्रमपदाधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	9	9	18	5	8	13	4	1	5	
15	सहायक लेखाधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
16	सहा. सांख्यिकीय अधिकारी	तृतीय श्रेणी	9	1	–	1	–	–	–	1	–	1	प्रतिनियुक्ति पद
17	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	9	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
18	सहायक अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	8	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
19	स्टेनोग्रफर–2	तृतीय श्रेणी	9	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–

20	केमिस्ट	तृतीय श्रेणी	8	2	2	4	1	–	1	1	2	3	–
21	श्रम निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	7	51	52	103	37	46	83	14	6	20	–
22	श्रम उप निरीक्षक	तृतीय श्रेणी	6	23	24	47	7	23	30	16	1	17	–
23	लैब असिस्टेंट	तृतीय श्रेणी	6	1	1	2	–	–	–	1	1	2	–
24	स्टेनोग्राफर–3	तृतीय श्रेणी	7	1	2	3	–	–	–	1	2	3	–
25	सांख्यिकीय पर्यवेक्षक	तृतीय श्रेणी	7	–	1	1	–	1	1	–	–	–	–
26	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	7	–	5	5	–	5	5	–	–	–	
27	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	6	–	58	58	–	56	56	–	2	2	–
28	डाटा एण्ट्री आपरेटर	तृतीय श्रेणी	6	27	–	27	15	–	15	12	–	12	–
29	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	4	82	21	103	16	5	21	66	16	82	–
30	स्टेनो टाईपिस्ट	तृतीय श्रेणी	4	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
31	वाहन चालक	तृतीय श्रेणी	4	17	–	17	4	–	4	13	–	13	सीधी भर्ती के पद के विरूद्ध 02 संविदा में कार्यरत
	योग :–			217	178	395	85	146	231	132	32	164	
32	लैब अटेंडेंट	चतुर्थ श्रेणी	1	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
33	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	2	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–
34	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	1	72	–	72	24	–	24	48	–	48	–
35	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	1	14	–	14	2	–	2	12	–	12	–
36	स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	1	2	–	2	–	–	–	2	–	2	–
37	वाहन चालक	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	1	–	1	3	–	3	–	–	–	02 अधिक
38	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	5	–	5	–	–	–	5	–	5	–
39	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	19		19	2	–	2	17	–	17	–
40	अंशकालीन स्वीपर	चतुर्थ श्रेणी	(जिलाध्यक्षदर)	3	–	3	12	–	12	–	–	–	09 अधिक
	योग :–			118	1	119	43	0	43	86	1	87	
	महायोग :–			370	220	590	150	176	326	231	44	275	11 अधिक

4. श्रमायुक्त संगठन का बजट वर्ष 2022–23

उपशीर्ष का नाम		वर्ष 2022–2023 में प्राप्त बजट	व्यय (01.04.2022 से 31.12.2022 तक)
4268	श्रमायुक्त	68795000	40224147
4271	श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला	156160000	102912116
5810	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	53075000	26766301
4270	श्रम कल्याण निधि की स्थापना	50000000	42707134
5400	रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति श्रम यशस्वी पुरस्कार	250000	200000
2837	बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना	22075000	448118
5648	औद्योगिक हाईजिन प्रयोगशाला की स्थापना	12006000	4639980
6915	बाल श्रमिक सर्वेक्षण	11200000	0
6947	बाल श्रमिकों का पुनर्वास	600000	0
7435	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	382500000	287061869
8977	असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल	80000000	17837000
8989	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल	150000000	88029000
योग		**986661000**	**610825665**

5. श्रम अधिनियम एवं क्रियान्वयन का दायित्व

क्र.	विषय		श्रम कानून का नाम	कार्यान्वयन का दायित्व		
				पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2		3	4	5	6
1	औद्योगिक संबंध विषयक	i	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947			✓
		ii	छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960		✓	
		iii	व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926		✓	
		iv	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	✓		
		v	छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961		✓	
2	मजदूरी एवं अन्य भुगतान विषयक	i	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936			✓
		ii	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948			✓
		iii	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965			✓
3	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विषयक	i	कारखाना अधिनियम, 1948		✓	
		ii	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986			✓
		iii	खतरनाक मशीन (विनियमन) अधिनियम, 1983		✓	
4	कतिपय नियोजनों में श्रमिकों के कार्यदशाओं के विनियमन विषयक	i	छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017		✓	
		ii	बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966		✓	
		iii	संविदा श्रमिक (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970			✓
		iv	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961		✓	
		v	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1996			✓
		vi	श्रम विधि (विवरणी देने तथा रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनाओं का छूट) अधिनियम, 1988			✓
		vii	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979			✓
		viii	विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976			✓

क्र.	विषय	श्रम कानून का नाम		कार्यान्वयन का दायित्व		
				पूर्णतः केंद्र सरकार	पूर्णतः राज्य सरकार	दोनों सरकारों का आंशिक
1	2	3		4	5	6
		ix	श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955			✓
		x	सिने कर्मकार तथा सिनेमागृह कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1981	✓		
5	महिला समानता एवं सशक्तिकरण विषयक	i	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961			✓
		ii	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976			✓
6	बाल एवं बंधक श्रमिक विषयक	i	बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976		✓	
		ii	बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986			✓
7	क्षतिपूर्ति, भविष्य निधि एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा विषयक	i	कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923			✓
		ii	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			✓
		iii	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952	✓		
		iv	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972			✓
		v	असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008			✓
8	श्रम कल्याण निधि विषयक	i	बीड़ी कर्मकार कल्याण अधिनियम, 1976	✓		
		ii	लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976	✓		
		iii	चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1972	✓		
		iv	छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982		✓	
		v	भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996		✓	

6. औद्योगिक विवाद एवं औद्योगिक संबंध

प्रदेश में औद्योगिक संबंधों के नियमन के लिये दो प्रमुख श्रम कानून छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रभावशील है। उक्त दोनों श्रम कानूनों के अंतर्गत नियोजकों तथा कर्मचारियों के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवादों में समझौते, न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित करने तथा श्रम अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित किया गया है। हड़ताल, तालाबंदी, सुलह कार्यवाही, छंटनी तथा अधिनियम के अंतर्गत देय स्वत्वों के भुगतान आदि के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है। उक्त दोनों अधिनियम में निहित प्रावधानों के परिपालन में विभागीय अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों में हस्तक्षेप करते हुए श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं नियोक्ता के मध्य सुलह कार्यवाही के माध्यम से औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित की जाती है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

- उद्योगों / कारखानों में औद्योगिक विवाद उद्भूत होने की दशा में सुलह अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(1) के अंतर्गत औद्योगिक विवाद को हस्तगत कर सुलह कार्यवाही करते हैं। सुलह कार्यवाही के असफल होने पर विवाद को समुचित सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को संदर्भित किया जाता है।

- वर्ष 2021 के 04 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे एवं वर्ष 2022 में श्रमायुक्त कार्यालय को 89 असफल प्रतिवेदन जिला श्रम कार्यालयों से प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 93 प्रकरणों में से 65 प्रकरणों को श्रम न्यायालय को अधिनिर्णयार्थ संदर्भित किये गये हैं, 21 प्रकरणों को त्रुटि सुधार कर पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु जिला श्रम कार्यालयों को प्रेषित किया गया है तथा शेष 07 प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- वर्ष 2022 में प्रदेश के श्रम न्यायालयों द्वारा अधिनिर्णित 252 प्रकरण आदेश की अभिस्वीकृति हेतु श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर को प्राप्त हुए, जिसकी अभिस्वीकृतियां माननीय श्रम न्यायालय को प्रेषित की जा चुकी है।

- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 34 के अंतर्गत माननीय न्यायालय में अभियोजन / परिवाद प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने हेतु वर्ष 2021 के 11 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित थे एवं वर्ष 2022 में 33 आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार कुल 44 प्रकरणों मे से 08 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं शेष 36 प्रकरणों पर निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7. व्यवसाय संघ

- संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को संगठित करने एवं श्रमिक संघों के पंजीयन के उद्देश्य से व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 प्रभावशील किया गया है।
- इस अधिनियम की धारा–4 अनुसार किसी भी संस्थान अथवा व्यवसाय में कार्यरत न्यूनतम 07 श्रमिकों द्वारा व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यवसाय संघ के पंजीयन के लिए आवेदन के दिनांक को, ऐसे संघ की सदस्यता, उस संस्थान अथवा उस व्यवसाय में कार्यरत कुल श्रमिकों के 10 प्रतिशत अथवा 100 श्रमिक, जो भी कम हो होना अनिवार्य है।
- पंजीयक व्यवसाय संघ द्वारा व्यवसाय संघों का पंजीयन किया जाता है। पंजीयक व्यवसाय संघ के आदेश के विरूद्ध माननीय औद्योगिक न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है।
- प्रदेश में व्यवसाय संघों के पंजीयन हेतु आवेदन ऑनलाईन भी प्राप्त किया जाकर संघों का पंजीयन किया जा रहा है।
- वर्ष 2022 में व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण :–

प्राप्त आवेदन	पंजीयन किये गये व्यवसाय संघ की संख्या	विचाराधीन	निरस्त किये गये आवेदन की संख्या	वर्ष में निरस्त पंजीकृत व्यवसाय संघ की संख्या	31 दिसम्बर 2022 की स्थिति में कुल पंजीकृत व्यवसाय संघ की संख्या
1	2	3	4	5	6
55	35	04	16	58	476

8.श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों के सेवा शर्तें, मजदूरी, अवकाश, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधानों के परिपालन हेतु राज्य शासन के निर्देशानुसार निरीक्षण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में सामान्य निरीक्षण पर प्रतिबंध है, किन्तु केन्द्र शासन द्वारा प्रभावशील ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नीति के परिपालन अंतर्गत विभाग द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती है :–

8.1 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस

8.1.1 कारखाना अधिनियम, 1948 अंतर्गत लाइसेंस की प्रक्रिया में नक्शे का अनुमोदन, निर्माण/विस्तार या किसी भवन को कारखाने के रूप में उपयोग करने हेतु अनुज्ञप्ति, कारखाने के ऑन साईट आपात योजना एवं सक्षम व्यक्ति प्रमाण पत्र आदि कार्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाती है।

8.1.2 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत कारखानों, स्थापनाओं, मोटर परिवहन उपक्रमों, बीड़ी निर्माण परिसरों, ठेकेदारों आदि से संबंधित पंजीयन, पंजीयन में संशोधन, अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति में संशोधन आदि हेतु संपूर्ण प्रक्रिया विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन की जाती है।

8.1.3 निरीक्षकों द्वारा स्वविवेक से निरीक्षण करने को पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए Online Computerized Randomized Allocation Of Inspections To Inspectors प्रणाली से श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ के नियंत्रण में उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं श्रम निरीक्षकों/श्रम उप निरीक्षकों द्वारा संस्थानों/कारखानों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही शिकायत या दुर्घटना की स्थिति में सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत संस्थानों का निरीक्षण किया जाता है।

8.1.4 श्रम अधिनियमों के परिपालन में सुधार एवं सरलीकरण के दृष्टिकोण से एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत संस्थानों को विभागीय वेबपोर्टल के माध्यम से 30 जून तक निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन विवरणी प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई है।

8.1.5 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन/अनुज्ञप्तियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा में अधिसूचित करते हुए, जारी करने की समय–सीमा निर्धारित की गई है।

8.1.6 ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के अंतर्गत संविदा श्रमिक (विनियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 एवं अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत

अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण संबंधी प्रावधान समाप्त किया जा चुका है, इससे ठेकेदारों को अनुज्ञप्ति का नवकरण नहीं कराना होगा।

8.1.7 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संधारित किये जाने वाले पंजियों/अभिलेखों के ऑनलाईन/डिजीटल संधारण किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिससे कारखानों/स्थापनाओं को अभिलेख संधारण में सुविधा होगी।

8.1.8 छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत् देय अभिदाय राशि को श्रम विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन जमा किये जाने संबंधी प्रावधान किया गया है, जिससे अभिदाय राशि जमा करने में नियोजकों को सुविधा होगी।

8.1.9 अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 के अंतर्गत स्थापनाओं के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण 45 दिवस के भीतर नहीं होने की स्थिति में स्वमेव (डिम्ड) पंजीयन जारी करने संबंधी प्रावधान किया गया है।

8.2 श्रम अधिनियमों के अंतर्गत निरीक्षण एवं अभियोजन :-

8.2.1 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2022 में किये गये निरीक्षण एवं अभियोजन संबंधी कार्यवाही का विवरण संलग्न **प्रपत्र – एक** में दर्शित है।

8.2.2 विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2022 में न्यायालय में दायर दावा एवं न्यायालय के बाहर कराये गये भुगतान के प्रकरण का विवरण संलग्न **प्रपत्र – दो** में दर्शित है।

8.2.3 राज्य में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अंतर्गत वर्ष 2022 में ऑनलाईन पंजीयन, अनुज्ञप्ति एवं नवकरण की जानकारी **प्रपत्र–तीन** में दर्शित है।

प्रपत्र-एक

श्रम अधिनियमों के अंतर्गत संपादित निरीक्षण/अभियोजन का विवरण

(01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक)

क.	अधिनियम का नाम	निरीक्षण संख्या	दायर अभियोजन	निराकृत अभियोजन संख्या	न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माना	दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत समझौता प्रकरणों की संख्या	वसूल किया गया समझौता राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958	82	76	76	38100	419	162100
2	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	576	199	57	74000	-	-
3	बोनस भुगतान अधिनियम,1965	260	0	0	0	-	-
4	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	199	1	0	0	-	-
5	श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982	332	98	1	3000	-	-
6	संविदा श्रमिक अधिनियम, 1970	171	41	14	165500	-	-
7	मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961	69	14	9	81000	-	-
8	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	422	92	18	156000	-	-
9	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	130	22	11	216000	-	-
10	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	62	58	11	91000	-	-
11	बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986	775	50	57	499000	-	-
12	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	70	5	6	3100	-	-
13	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	77	78	5	23900	-	-
14	श्रम जीवी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कर्मचारी एवं विविध उपबंध अधिनियम, 1965	3	0	0	0	-	-
15	कारखाना अधिनियम, 1948	911	214	181	19458500	-	-
	योग	**4139**	**948**	**446**	**20809100**	**419**	**162100**

प्रपत्र-दो

न्यायालय में दायर दावा एवं न्यायालय के बाहर कराये गये भुगतान के प्रकरण का विवरण

(01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक)

क्र.	अधिनियम का नाम	न्यायालय में दायर दावा प्रकरण					न्यायालय के बाहर भुगतान		
		प्रकरण संख्या	दावा राशि			प्रभावित श्रमिक संख्या	प्रकरण की संख्या	भुगतान राशि	लाभान्वित श्रमिक संख्या
			अंतर की राशि	क्षतिपूर्ति की राशि	कुल राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	7	10145510.00	101455100.00	111600610.00	188	4	211735.00	26
2	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	27	10734850.00	12665945.00	23400795.00	38	632	20421281.00	1482
योग		34	20880360.00	114121045.00	135001405.00	226	636	20633016.00	1508

प्रपत्र-तीन

अनुज्ञप्ति/पंजीयन एवं शुल्क संबंधी विवरण

(01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक)

क्रमांक	अधिनियम का नाम	विवरण	आवेदन संख्या	निरस्त आवेदन संख्या	जारी पंजीयन/अनुज्ञप्ति संख्या	लंबित आवेदन संख्या	श्रमिक संख्या	शुल्क	प्रतिभूति राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970	पंजीयन	163	41	112	10	9106	30659	-
		नवीन आवेदन	1366	365	978	23	61258	735732	61258000
		संशोधन	775	234	463	78	38258	352507	-
2	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	पंजीयन	8	2	6	0	380	1380	-
		नवीन आवेदन	86	20	63	3	2255	6000	338250
		संशोधन	65	4	61	0	3040	7660	-
3	मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961	पंजीयन	43	7	30	6	1088	7740	-
4	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996	पंजीयन आवेदन	941	221	653	76	10901	68700	-
5	कारखाना अधिनियम, 1948	कारखाना पंजीयन	640	235	395	10	8783	12876115	-
		कारखाना लाईसेंस का नवीनीकरण	4141	1562	1989	590	251123	173745808	-
योग			**8228**	**2691**	**4750**	**796**	**386192**	**187832301**	**61596250**

9. शिकायत निवारण की स्थिति

विभाग को श्रमिकों तथा अन्य लोगों से मजदूरी तथा सेवा शर्तों से संबंधित शिकायतें सीधे अथवा मुख्यमंत्री जनदर्शन/जनचौपाल/पी.जी.एन./राज्य शासन/भारत सरकार (पी.एम.ओ.) व अन्य माध्यमों से प्राप्त होती है। उक्त शिकायतों का निराकरण जिला श्रम कार्यालयों, मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि वर्ष 2022 में शिकायतों के निराकरण की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	शिकायत का माध्यम	कुल शिकायत संख्या (पूर्व वर्ष के लंबित शिकायत एवं इस वर्ष प्राप्त शिकायत)	निराकृत शिकायत संख्या	लंबित शिकायत संख्या (3–4)
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री जनचौपाल से प्राप्त शिकायत	277	256	21
2	पी.जी.एन. से प्राप्त शिकायत	199	177	22
3	राज्य शासन एवं भारत सरकार से प्राप्त शिकायत	151	125	26
4	अन्य	2166	1245	921
5	विभागीय पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त शिकायत	742	460	282
	योग	**3535**	**2263**	**1272**

10. उपादान भुगतान

10.1 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति अथवा सेवा समाप्ति के पश्चात् नियोजक से नियमानुसार उपादान प्राप्त करने की पात्रता होती है। नियोजक द्वारा उपादान का भुगतान नहीं करने अथवा उपादान के संबंध में कर्मचारी एवं नियोजक के मध्य विवाद विद्यमान होने पर, ऐसे विवाद की सुनवाई जिला कार्यालयों में पदस्थ नियंत्रण प्राधिकारियों (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) द्वारा की जाती है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत वर्ष में प्राप्त एवं निर्णित प्रकरणों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र.	पंजीकृत प्रकरणों की संख्या	निर्णित प्रकरणों की संख्या	निर्णित उपादान की राशि (रूपये)	लाभान्वित श्रमिकों की संख्या	लंबित प्रकरणों की संख्या	आर.आर. सी. हेतु प्राप्त प्रकरणों की संख्या	आर.आर. सी. जारी करने संबधी प्रकरणों की संख्या	जारी आर. आर.सी. की राशि (रूपये)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1601	754	33,85,83,300	744	847	113	87	4,44,72,931

10.2 उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत विभाग के मैदानी कार्यालयों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (7) के अंतर्गत अपील होती है। वर्ष 2022 के पूर्व लम्बित प्रकरण 77 तथा वर्ष 2022 में प्राप्त 58 अपील आवेदनों में से कुल 72 अपील आवेदन प्रकरणों का निराकरण करते हुये ग्रेच्युटी राशि 52,66,807/– के भुगतान हेतु आदेश जारी किया गया। शेष 63 प्रकरणों में सुनवाई निरंतरित है।

11. बोनस

वर्ष 2022 में 234 संस्थानों द्वारा 33450 श्रमिकों को रु. 28,60,82,640.37 बोनस राशि का भुगतान संबंधित संस्थाओं द्वारा कर्मकारों को किया गया है।

12.श्रमिकों के विशेष वर्गो के लिये प्रावधान

12.1 बालक एवं किशोर श्रम

12.1.1 बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बालक या बालिका जिसने 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की हो उसे कुछ नियोजनों के अलावा किसी भी नियोजन में नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

12.1.2 14 वर्ष से 18 वर्ष के किशोर को 107 अधिसूचित प्रक्रिया एवं उपजीविकाओं में (खतरनाक क्षेत्र) नियोजित किया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

12.1.3 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को पारिवारिक व्यवसाय (खतरनाक क्षेत्र को छोड़कर) शाला समय के उपरांत सहयोग हेतु एवं कला क्षेत्र जैसे – ऑडियो, वीडियो, मनोरंजन अथवा खेल गतिविधियों (जिसमें सर्कस शामिल नहीं है) में बालकों की सुरक्षा के प्रबंध के साथ उनसे कार्य लिया जा सकता है।

12.1.4 उक्त अधिनियम के प्रभावी प्रवर्तन हेतु राज्य के समस्त 28 जिलों में जिला कलेक्टर के निर्देशन पर टॉस्क फोर्स गठित किया गया है। जिसमें श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस प्रशासन एवं राजस्व के कार्यपालिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। राज्य के समस्त जिला कार्यालयों द्वारा उक्त टॉस्क फोर्स के माध्यम से बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सतत् निरीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है।

वर्ष 2022 में बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अंतर्गत कुल 775 निरीक्षण किया जाकर, बालक एवं किशोर श्रमिक नियोजित करने वाले दोषी नियोजकों के विरूद्ध 18 अभियोजन तथा उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरूद्ध 32 अभियोजन दायर किया गया।

12.1.5 बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी प्रवर्तन एवं बाल श्रम नियोजन की शिकायत के अनुश्रवण एवं निवारण हेतु टोल फ्री दूरभाष क्रमांक 1800–2332–197 स्थापित किया गया है।

12.1.6 सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति का गठन किया जा चुका है।

12.1.7 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना पुनरीक्षित दिशा निर्देश 2016 अंतर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में बाल श्रमिकों के प्रारंभिक चिन्हांकन/सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

12.1.8 सर्वेक्षण उपरांत पाये गये 05 से 08 वर्ष आयु के काम करने वाले विमुक्त बच्चे सीधे स्कूल से जोड़े जायेंगे।

12.1.9 09 वर्ष से 14 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हांकित बच्चों को सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत औपचारिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा – 4 के तहत् समुचित आयु वर्ग की औपचारिक शालाओं की कक्षा में प्रविष्ट कराया जा सकेगा।

12.1.10 जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले सभी बच्चों एवं खतरनाक व्यवसाय/प्रक्रियाओं में कार्यरत् 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों का चिन्हांकन कर उन्हें कार्य से विमुक्त कर जिला बाल श्रम परियोजना द्वारा पुनर्वास एवं प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी।

12.1.11 सर्वेक्षण में चिन्हांकित किशोरों के कौशल विकास हेतु जिला बाल श्रम परियोजना समिति लिंकिंग एजेंसी के रूप में कार्य करेगी ताकि शासन द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् उन्हें प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त हो सके।

12.2 पेंसिल पोर्टल

बाल श्रम उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पेंसिल पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला और सभी बाल श्रम परियोजना समितियों को जोड़ा गया है। पेंसिल पोर्टल में निम्न घटक हैं :–

1. चाईल्ड ट्रेकिंग सिस्टम,
2. शिकायत प्रकोष्ठ,
3. राज्य सरकार,
4. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति,
5. परस्पर सहयोग।

राज्य के 28 जिलों में बाल एवं किशोर श्रम सशोधन अधिनियम, 2016 की धारा 17 (ए) के तहत् जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, जिनके द्वारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन एवं बाल श्रम उन्मूलन हेतु पेंसिल पोर्टल का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2022 में पेंसिल पोर्टल के अन्तर्गत केवल 01 शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका निराकरण किया जा चुका है।

12.3 बीड़ी श्रमिक

12.3.1 कल्याण आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश के 04 जिले क्रमशः धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग एवं कांकेर में कुल 10 बीड़ी संस्थान है, जिसमें संलग्न 5320 बीड़ी श्रमिकों को परिचय पत्र जारी किया गया है।

12.4 बंधक श्रम

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधक श्रम प्रथा दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत बंधुआ श्रम कराने वाले नियोजकों को दंडित किये जाने के अलावा संबंधित बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने का प्रावधान है। इस कार्य की सतत निगरानी के लिये जिला व अनुविभाग स्तर पर सतर्कता समिति बनाये जाने का प्रावधान है। प्रदेश के सभी जिलों एवं अनुभागों में सतर्कता समितियों का गठन किया जा चुका है।

12.4.1 वर्तमान में केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना दिनांक 17.05.2016 तथा संशोधित दिनांक 27.01.2022 से प्रभावशील है। उक्त योजनांतर्गत अवमुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य के प्रत्येक जिला स्तर पर गठित बंधक श्रमिक पुनर्वास कोष से तत्काल सहायता राशि 20,000/— रूपये प्रति श्रमिक के मान से अथवा जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यकता अनुसार इससे अधिक तत्काल सहायता राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान है, जिसका समायोजन पुनर्वास सहायता राशि से किया जावेगा। राज्य के समस्त 28 जिलो में बंधक श्रम पुनर्वास स्थायी कोष का गठन किया जा चुका है।

12.4.2 17 मई 2016 के पश्चात् अन्य राज्यों से अवमुक्त होकर गृह राज्य छत्तीसगढ़ आये बंधक श्रमिकों की संख्या 1185 है, जिसमें से 775 बंधक श्रमिकों को तत्काल सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है।

12.4.3 केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजना के अंतर्गत पुनर्वास सहायता राशि निम्नानुसार प्रावधानित है :—

1. वयस्क विमुक्त प्रति बंधक श्रमिक रूपये 01 लाख।
2. विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे / भिक्षावृत्ति से विमुक्त बंधक श्रमिक बच्चे / विमुक्त महिला बंधक श्रमिक रूपये 02 लाख रूपये प्रति श्रमिक।
3. वेश्यावृत्ति / मानव तस्करी के दौरान उत्पीड़ित ट्रांसजेन्डर, महिला एवं बच्चे विमुक्त होने पर रूपये 03 लाख प्रति श्रमिक।

12.4.4 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना, जन धन योजना, स्वास्थ्य संबंधी योजना इत्यादि में प्राथमिकता से लाभांवित किया जाना है।

12.4.5 श्रम विभाग के अधीन संचालित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत अवमुक्त बंधक श्रमिकों का पंजीयन कर मण्डल के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कर पुनर्वासित किया जाता है।

12.4.6 बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पुनर्वास राशि आबंटन हेतु प्रस्ताव भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को श्रमायुक्त कार्यालय के माध्यम से प्रेषित किया जाता है।

12.4.7 केन्द्र प्रवर्तित पुनरीक्षित बंधक श्रमिक पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत् बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण हेतु व्यय सीमा राशि 4.50 लाख निर्धारित है। इस तारतम्य में राज्य के 27 जिला कलेक्टरों को बंधक श्रम सर्वेक्षण हेतु प्रति जिला 4.50 लाख की मद से कुल राशि रूपये 121.50 लाख आबंटित की जा चुकी है। भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुरूप बंधक श्रम सर्वेक्षण हेतु राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को शीघ्र सर्वेक्षण किये जाने के निर्देश जारी किया गया है। राज्य के 07 जिलों क्रमशः धमतरी, बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, मुंगेली, सरगुजा एवं कबीरधाम में बंधक श्रमिक सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें कोई भी बंधक श्रमिक राज्य में नहीं पाया गया है।

13. श्रम यशस्वी पुरस्कार

- श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम विभाग द्वारा स्व. महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव स्मृति ''श्रम यशस्वी'' पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। जिसके अंतर्गत पुरस्कार राशि रु. 2.00 लाख (रूपये दो लाख) एवं प्रशस्ति पत्र दी जाती है।
- वर्ष 2021–22 के लिये एन.टी.पी.सी. उज्जवल नगर सीपत, बिलासपुर, (छ.ग.) एवं श्री पालूराम साहू, पिता श्री पुसऊ राम साहू, 236/ए रिसाली सेक्टर भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.) को संयुक्त रूप से पुरस्कार प्रदाय किया गया है।

14. न्यूनतम वेतन

14.1 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की जाती है। प्रत्येक छःमाही (01 अप्रैल से 30 सितंबर तथा 01 अक्टूबर से 31 मार्च की स्थिति) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का निर्धारण किया जाता है।

14.1.1 सामान्य 45 नियोजन (भाग - एक) प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	1900.00	73.08	10220.00	393.08 (393)
		ब	8060.00	310.00	1900.00	73.08	9960.00	383.08 (383)
		स	7800.00	300.00	1900.00	73.08	9700.00	373.08 (373)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	1900.00	73.08	10870.00	418.08 (418)
		ब	8710.00	335.00	1900.00	73.08	10610.00	408.08 (408)
		स	8450.00	325.00	1900.00	73.08	10350.00	398.08 (398)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	1900.00	73.08	11650.00	448.08 (448)
		ब	9490.00	365.00	1900.00	73.08	11390.00	438.08 (438)
		स	9230.00	355.00	1900.00	73.08	11130.00	428.08 (428)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	1900.00	73.08	12430.00	478.08 (478)
		ब	10270.00	395.00	1900.00	73.08	12170.00	468.08 (468)
		स	10010.00	385.00	1900.00	73.08	11910.00	458.08 (458)

14.1.2 कृषि में नियोजन (भाग -''दो'') में प्रभावशील न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	2	3	4	5	6	7
अकुशल	6900.00	230.00	1275.00	42.50	8175.00	272.50 (273)

14.1.3 विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन दरें

(दिनांक 01.10.2022 से 31.03.2023 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	1900.00	63.33	10220.00	340.67 (341)
		ब	8060.00	268.67	1900.00	63.33	9960.00	332.00 (332)
		स	7800.00	260.00	1900.00	63.33	9700.00	323.33 (323)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	1900.00	63.33	10870.00	362.33 (362)
		ब	8710.00	290.33	1900.00	63.33	10610.00	353.67 (354)
		स	8450.00	281.67	1900.00	63.33	10350.00	345.00 (345)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	1900.00	63.33	11650.00	388.33 (388)
		ब	9490.00	316.33	1900.00	63.33	11390.00	379.67 (380)
		स	9230.00	307.67	1900.00	63.33	11130.00	371.00 (371)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	1900.00	63.33	12430.00	414.33 (414)
		ब	10270.00	342.33	1900.00	63.33	12170.00	405.67 (406)
		स	10010.00	333.67	1900.00	63.33	11910.00	397.00 (397)

14.2 जोन का विवरण

14.2.1 जोन ''अ'' -

- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई–चरौदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला – रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखाने जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत् 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिये अनुज्ञप्ति ली गयी है।

14.2.2 जोन ''ब'' -

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

14.2.2 जोन ''स'' -

- जोन 'अ' एवं 'ब' में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।

15. संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा छत्तीसगढ़

15.1 उद्देश्य

संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उनके कल्याण से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन कराना है।

15.2 संरचना

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिसूचना द्वारा मुख्य कारखाना निरीक्षक, उप मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं कारखाना निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। राज्य शासन द्वारा श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक, समस्त उप संचालकों को उप मुख्य कारखाना निरीक्षक तथा समस्त सहायक संचालकों को कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया गया है। राज्य में वर्तमान में 08 उप संचालक, 13 सहायक संचालक, 01 सहायक संचालक (इण्डस्ट्रीयल हाईजिन) तथा 02 सहायक संचालक (चिकित्सा) कार्यरत् है।

15.3 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के द्वारा प्रवर्तनीय अधिनियम

- कारखाना अधिनियम, 1948
- वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम परिसंकटमय रसायनों के भण्डारण एवं आयात नियम, 1989
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत निर्मित नियम रासायनिक दुर्घटना (आपात योजना तैयारी एवं अनुक्रिया) नियम, 1996

15.3.1 कारखाना अधिनियम 1948 : - यह अधिनियम निम्नलिखित संस्थानों में प्रभावशील होता है :–

(अ) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 10 या 10 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर शक्ति (मानव अथवा पशु द्वारा उत्पन्न शक्ति को छोड़कर) के उपयोग से कोई विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(ब) ऐसे संस्थान जहाँ वर्ष में किसी भी एक दिन 20 या 20 से अधिक श्रमिकों को नियुक्त कर बिना शक्ति के उपयोग के विनिर्माण प्रक्रिया संचालित की जाती है।

(स) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत् राज्य शासन द्वारा घोषित विनिर्माण प्रक्रिया पर भी यह अधिनियम प्रभावशील होता है, चाहे इन कारखानों में श्रमिकों का नियोजन 10 से कम ही क्यों न हो।

(द) कारखाना अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा घोषित निम्न विनिर्माण प्रक्रियाओं पर अधिनियम प्रभावशील है :–

राईस मिलिंग, दाल मिलिंग, ऑयल मिलिंग, आरा मशीन, स्लेट पेन्सिल निर्माण, एस्बेस्टस निर्माण, चूना निर्माण, रासायनिक कारखाने (जिनमें विषैली या अत्यधिक ज्वलनशील अथवा विस्फोटक प्रकृति के रसायनों का भण्डारण या उपयोग होता है), स्टोन क्रशिंग और मिनरल पल्वराईजिंग प्रोसेस एवं गन्ना प्रसंस्करण एवं गुड़ उत्पादन प्रक्रिया।

15.3.2 कारखाना अधिनियम के अंतर्गत मुख्य प्रावधान

- कारखाने का कार्यवातावरण श्रमिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित मेंटेन किया जाना।
- श्रमिकों को कार्य अनुरूप उपयुक्त सुरक्षा उपकरण जैसे – जूते, दस्ताने, हेलमेट, फेसशील्ड, ऊंचाई पर कार्य करने के लिए सेफ्टीबेल्ट, फर्नेस पर कार्य करने के लिए हीट रजिस्टेंस एप्रान्स, लेग गार्ड, हिट रजिस्टेंस दस्ताने, केमिकल्स हेण्डलिंग एवं प्रोसेस पर कार्यरत् श्रमिकों को गमबूट्स, रबर एप्रान्स, रबर हेण्डग्लोब्स, केमिकल सेफ्टी गॉगल्स एवं फेस शील्ड आदि उपलब्ध कराया जाना।
- 250 से ज्यादा श्रमिक नियोजित करने वाले कारखानों में केन्टिन की व्यवस्था किया जाना।
- 20 दिन पर श्रमिकों को 01 दिन का सवैतनिक अवकाश का लाभ दिया जाना।
- श्रमिकों से ओव्हर टाईम कार्य कराये जाने पर उन्हें दोगुने दर से मजदूरी भुगतान।
- मशीनों के समस्त चलायमान खतरनाक हिस्सों को सुरक्षा आवरण से सुरक्षित करना।
- खतरनाक श्रेणी के कारखानों में कार्यरत् समस्त श्रमिकों का उनके नियोजन के पूर्व तथा वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाना।

15.4 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

कारखाने में दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा अधिसूचित व्यवसायजन्य बीमारी होने पर संबंधित को अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा की पात्रता है। मुआवजा के संबंध में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, आहत/मृत/प्रभावित कर्मचारी अथवा उनके आश्रित के द्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त (श्रम न्यायालय) में दावा दायर किया जा सकता है।

15.5 पंजीकृत कारखानों की जानकारी

15.5.1 प्रदेश में दिनाँक 31.12.2022 तक कुल 6190 कारखाने पंजीकृत है। इनमें से 25 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के, 1186 खतरनाक श्रेणी के एवं 4978 गैर खतरनाक श्रेणी के कारखानें हैं। उक्त कारखानों में लगभग 3.97 लाख कर्मकार नियोजित हैं।

15.5.2 अत्यधिक खतरनाक श्रेणी तथा खतरनाक श्रेणी के कारखानों में होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया से तथा इनमें उपयोग हो रहे रसायनों से श्रमिक के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बाबत् इन

कारखानों में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान बनवाए जाते हैं। इन कारखानों में बनाए गए ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल भी कराया जाता है, जिससे इन प्लान की प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का आंकलन होता रहें।

15.5.3 प्रदेश में स्थापित कारखानों में से MSIHC Rules, 1989 के अंतर्गत् अत्यधिक खतरनाक श्रेणी के 25 कारखानें प्रदेश के 05 जिलों में स्थित है।

15.6 इण्डस्ट्रीयल हाईजीन लैबोरेटरी

15.6.1 प्रदेश में इण्डस्ट्रीयल हाईजीन लैबोरेटरी की स्थापना 2008 में की गई है। हाईजीन लैबोरेटरी में विभिन्न तरह के रसायनों, एसिड फ्यूम्स, मेटल फ्यूम्स, दूषित वायु, धूल एवं जल का विश्लेषण करने हेतु उपकरण स्थापित किये गए हैं।

15.6.2 विभाग के अधिकारियों द्वारा कारखानों में जांच के दौरान कार्यवातावरण के प्रदूषकों का नमूना एकत्र कर हाईजिन लैब में नमूना का विश्लेषण उपरांत कारखानों के कार्यवातावरण में प्रदूषकों के स्तर को ज्ञात किया जाता है। विश्लेषण के परिणाम पश्चात् मानक स्तर से अधिक पाये जाने पर प्रदूषकों का स्तर नियंत्रित किये जाने हेतु अभियांत्रिकीय उपाय, प्रशासनिक उपाय एवं कार्यरत् श्रमिकों को सुसंगत व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

15.6.3 कारखाने के कार्यवातावरण द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव एवं व्यवसाय–जन्य बीमारियों की पहचान की जाकर व्यवसायजन्य बीमारी के लक्षण पाये जाने पर ऐसे श्रमिकों के कार्यस्थल में परिवर्तन करवाया जाता है।

15.6.4 राज्य में स्थित खतरनाक प्रक्रिया एवं व्यवसायिक रोगकारक कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण के समय कारखाना प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण संबंधी कार्यवाही एवं अभिलेखों का परीक्षण/पर्यवेक्षण किया जाता है। विभाग द्वारा कारखानों को श्रमिकों की सामयिक चिकित्सा जांच करवा कर स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट विभागीय वेबपोर्टल पर अपलोड करने के स्थायी निर्देश दिये गये हैं। वर्ष 2022 में 466 खतरनाक कारखानों से 1,18,900 श्रमिकों के सामयिक चिकित्सा रिपोर्ट विभागीय वेबपोर्टल में अपलोड है।

15.6.5 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2022 में 96 कारखानों में हाईजिन डेटाबेस सर्वे किया जाकर, कारखानों में कार्यवातावरण में उपस्थित हानिकारक प्रदूषकों की जांच की गई तथा संबंधित कारखानों को विभिन्न नियंत्रक उपायों के माध्यम से मानक स्तर पर रखने के सुझाव दिए गए।

15.7 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट कार्य

- प्रदेश में स्थापित कारखानों में कार्यरत् श्रमिकों/अधिकारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी कारखानों में विशेषकर खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

- प्रदेश के सभी बड़े एवं खतरनाक श्रेणी के कारखानों में प्रतिवर्ष 4 मार्च को औद्योगिक सुरक्षा दिवस प्रभावी ढंग से मनाने के लिए दिशा–निर्देश दिया जाता है, जिसमें कारखानों में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्लोगन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, सुरक्षा सुझाव, सुरक्षा संगोष्ठी, सुरक्षा फिल्मों का प्रदर्शन, अग्नि शमन प्रशिक्षण एवं ऑन साइट इमरजेंसी प्लान की मॉक ड्रील कराई जाती है।
- कारखाने में नियोजन से पूर्व श्रमिकों को 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
- खतरनाक प्रक्रिया वाले कारखाने एवं सिलिकोसिस प्रोन कारखानों का लायसेंस नवीनीकरण के समय कारखानें मे कार्यरत् श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के प्रयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है।
- कारखानों में कार्यरत ठेका श्रमिकों के प्रशिक्षण हेतु ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से सभी बड़े कारखानों मे ठेका श्रमिकों का प्रशिक्षण हेतु कैलेण्डर तैयार करवाया गया है। वर्ष 2022 में राज्य के 180 कारखानों में 2,49,941 ठेका श्रमिक प्रशिक्षण से लाभांवित हुये।

15.8 संचालनालय के अधिकारियों द्वारा वर्ष 2022 में किये गए कार्यों का विवरण

15.8.1 संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वर्ष 2022 में किये गये निरीक्षण / दायर अभियोजन की जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्ष	निरीक्षण	दायर अभियोजन	निर्णित प्रकरण	अर्थदण्ड राशि (रूपयों में)
2022	911	214	181	1,94,58,500.00

15.8.2 **दुर्घटना की जाँच :-** प्रदेश में घटित प्राणान्तक एवं गम्भीर दुर्घटना की जाँच में दोषी पाए गए कारखाना प्रबंधनों के विरूद्ध अभियोजन प्रकरण संबंधित श्रम न्यायालय में दायर किये जाते हैं। वर्ष 2022 में घटित दुर्घटनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्राणांतक दुर्घटना		गम्भीर दुर्घटना		साधारण दुर्घटना
	दुर्घटना की संख्या	मृत श्रमिकों की संख्या	गम्भीर दुर्घटना की संख्या	घायल श्रमिकों की संख्या	
2022	71	77	58	77	91

15.9 **राजस्व :-** प्रदेश में वर्ष 2022 में नव स्थापित एवं पूर्व से कार्यरत् कारखानों से बतौर लायसेंस शुल्क कुल राशि रूपये 19,62,63,758.00 की राजस्व प्राप्ति हुई है।

16. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवायें

क्र.	छ0ग0 लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)
1	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन	15 दिवस
2	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन का संशोधन	15 दिवस
3	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
4	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का संशोधन आवेदन	15 दिवस
5	संविदा श्रमिक अधिनियम 1970 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15 दिवस
6	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – प्रमुख नियोजक पंजीयन	15 दिवस
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
8	अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के अंतर्गत – ठेकेदार का अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण	15 दिवस
9	मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अंतर्गत – अनुज्ञप्ति आवेदन	15 दिवस
10	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अंतर्गत – पंजीयन आवेदन	15 दिवस
11	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 1948 के अंतर्गत – नक्शे का अनुमोदन (20 या 20 से अधिक)	60 दिवस
12	औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 1948 के अंतर्गत – नक्शे का अनुमोदन (20 से कम)	60 दिवस
13	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल – हितग्राहियों के पंजीयन	30 दिवस
14	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल – भगिनी प्रसूति सहायता योजना	30 दिवस
15	छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल – मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	30 दिवस
16	असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल – हितग्राहियों के पंजीयन	30 दिवस
17	असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल – सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	30 दिवस
18	असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल – महिला ठेका श्रमिक, घरेलु महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	30 दिवस
19	असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल – असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	30 दिवस
20	कारखाना लाईसेंस नवीनीकरण कार्य	30 दिवस
21	प्राणांतक दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जांच	07 दिवस
22	प्राणांतक दुर्घटना स्थल की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	07 दिवस
23	गंभीर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल की जांच	15 दिवस
24	गंभीर दुर्घटना की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	15 दिवस
25	शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन देने हेतु	30 दिवस
26	औषधालय स्तर पर परीक्षण एवं उपलब्ध औषधियों का प्रदाय	03 दिवस
27	औषधालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 दिवस
28	संचालनालय स्तर पर बीमित व्यक्तियों के पुनर्भुगतान/अग्रिम के प्रकरणों का निराकरण	15 दिवस
29	मृत्यु सहायता योजना (छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल)	07 दिवस

17. छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का गठन किया गया है। मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं तथा उनमें कार्यरत् श्रमिकों से अभिदाय प्राप्त किया जाता है। प्राप्त अभिदाय एवं शासन द्वारा दी गई सहायता अनुदान राशि से संगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनायें संचालित की जाती है।

17.1 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 के तहत् राज्य के समस्त ऐसी स्थापनाएं जो व्यवसाय, व्यापार अथवा उससे संबंधित कोई सहयोगी कार्य करते हों एवं विगत 12 माह में किसी भी कार्य दिवस में 9 से अधिक कर्मकार नियुक्त हों उन पर यह अधिनियम प्रभावशील होता है।

17.2 श्रम कल्याण मण्डल द्वारा ऐसे संस्थानों से 60/- रूपये (प्रति छमाही) अभिदाय प्रति श्रमिक संकलित किया जाता है। इसमें 45/- रूपये नियोक्ता का एवं 15/- रूपये कर्मकार का अंशदान होता है।

17.3 **मण्डल को प्राप्त अभिदाय :-** मण्डल में वर्ष 2017 से 31.12.2022 की अवधि में पंजीकृत 8634 संस्थान में कार्यरत कुल 4,31,550 श्रमिकों से वर्ष 2022 (01.01.2022 से 31.12.2022) के लिये श्रमिक अभिदाय राशि रूपये 1,13,73,705/- एवं नियोजकों से प्राप्त अभिदाय राशि रूपये 3,74,75,335/- अर्थात कुल अभिदाय राशि रूपये 4,88,49,040/- प्राप्त किया गया है।

17.4 **पंजीयन :-** छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल के अंतर्गत अभिदायदाता संस्थानों द्वारा श्रमिकों की जानकारी ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दी जाती है, जो कि मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत हो जाते है। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में मण्डल अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 1,96,038 है।

17.5 छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं

17.5.1 शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 1500/- से रूपये 10000/- तक।

पात्रता : मण्डल को देय अभिदायदाता संस्थानों, कारखानों एवं स्थापनाओं में नियोजित श्रमिकों के दो पुत्र/पुत्रियों जो पूर्व परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हो कक्षा 01 से स्नाकोत्तर कक्षा तक छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

17.5.2 श्रमिक दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 50000/-

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत् अभिदायदाता श्रमिकों की कार्य के दौरान दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके वैधानिक उत्तराधिकारी को सहायता राशि प्रदाय की जाती है, किन्तु वे हितग्राही जो ई.एस.आई.सी. एवं भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत नहीं है, उनके ही आवेदन स्वीकार किये जावेंगे।

17.5.3 निःशुल्क सायकल वितरण योजना

हितलाभ : एक सायकल (प्रति हितग्राही)।

पात्रता : स्थापना/औद्योगिक संस्थान में कार्यरत् 3 वर्षों से देय अभिदायदाता श्रमिकों को निःशुल्क सायकल का वितरण हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।

17.5.4 श्रम कल्याण केन्द्रों का संचालन एवं सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण

हितलाभ : मण्डल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों के माध्यम से श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

17.5.5 निःशुल्क सिलाई मशीन योजना

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही)।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत् अभिदायदाता श्रमिकों के महिलाओं एवं पुत्रियों को मण्डल द्वारा संचालित श्रम कल्याण केन्द्रों में सिलाई/कढ़ाई का प्रशिक्षण उपरांत परीक्षा में उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क सिलाई मशीन प्रदान किया जाता है।

17.5.6 निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत 01 सामग्री (प्रति हितग्राही) हेतु सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अनुसार राशि प्रदाय की जाती है।

पात्रता : कारखानों/संस्थानों में कार्यरत् 3 वर्षों से देय अभिदायदाता दिव्यांग श्रमिकों को शासकीय चिकित्सालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र के आधार पर निःशुल्क बैसाखी/कैलिपर्स/ट्राईसायकल एवं श्रवण यंत्र हितग्राही को जीवनकाल में एक बार ही प्रदाय किया जाता है।

17.5.7 मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

औद्योगिक संस्थानों/स्थापनाओं में कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को विभिन्न ट्रेड का प्रशिक्षण जैसे – फिटर, टर्नर, मोल्डर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फर्नेस ऑपरेटर, इन्स्ट्रूमेन्टेशन मैकेनिक, रेफ्रीजरेशन मैकेनिक इत्यादि एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिये जाने जो किसी स्थापना में वर्षों से अपने अनुभव के आधार पर कार्यरत् हैं, परंतु किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमाण–पत्र के अभाव में उन्हें कुशल श्रेणी से वंचित रखा गया है, इन कर्मचारी/उनके परिवारों के सदस्यों को भी प्रशिक्षण दिया जाकर पंजीकृत संगठित कर्मचारी जिस ट्रेड में कार्य करते हैं उसका प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

17.5.8 स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर एवं निःशुल्क चश्मा वितरण

पात्रता : प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों में कार्यरत् श्रमिक एवं उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य/नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाकर निःशुल्क दवाइयाँ एवं चश्मा वितरण किया जाता है।

17.5.9 श्रमिकों हेतु खेल-कूद प्रतियोगिता

पात्रता : विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के कारखानों/संस्थानों मे कार्यरत् श्रमिकों एवं उनके परिवार के लिए राज्य स्तरीय/संभाग स्तरीय/जिला स्तरीय श्रमिक खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

17.5.10 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : रूपये 3,00,000/– प्रति हितग्राही।

पात्रता : योजना का लाभ छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित वे सभी स्थापनाएं जहाँ कारखाना अधिनियम, 1948 एवं श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 प्रभावशील है, उनमें कार्यरत् श्रमिकों को प्रदान किया जावेगा।

17.5.11 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना :-

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पंजीकृत संगठित श्रमिकों को 10 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं अचार) प्रदाय किया जाता है।

17.5.12 मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

हितलाभ : रूपये 5,000/– से रू. 1,00,000/– तक

पात्रता : योजना का लाभ मण्डल अंतर्गत पंजीकृत स्थापनाओं/ संस्थानों/कारखानों एवं ठेकेदारों के द्वारा नियोजित/कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी/श्रमिकों के पुत्र/पुत्री को दिया जावेगा।

17.5.11 खेल-कूद प्रोत्साहन योजना :-

हितलाभ : रूपये 5,000/– से रूपये 1,50,000/– तक एवं प्रशस्ति पत्र।

पात्रता : योजनांतर्गत पंजीकृत संगठित श्रमिकों एवं उनके पुत्र/पुत्री व पति/पत्नी द्वारा जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राज्यीय स्तर के खेल प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर देय होगा।

17.6 मण्डल द्वारा संचालित कल्याण केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिला	संख्या	कल्याण केन्द्रों का नाम/पता
1	रायपुर	5	सांकरा, रायपुर
			नवापारा
			बाना
			उरला
			कुशालपुर
2	दुर्ग	3	खुर्सीपार, भिलाई
			गनियारी (रसमड़ा)
			छावनी, भिलाई
3	राजनांदगांव	2	औद्योगिक क्षेत्र इंदामरा
			औद्योगिक क्षेत्र टेडेसरा
4	बिलासपुर	3	तिफरा
			औद्योगिक क्षेत्र सिरगिट्टी
			जरहाभाठा
5	जांजगीर–चांपा	1	भोजपुर
6	कोरबा	3	कावेरी विहार, एन.टी.पी.सी.,परिसर,कोरबा
			सी.एस.ई.बी. (कैलाश विहार पश्चिम) कोरबा
			औद्योगिक क्षेत्र बालको, कोरबा
योग		17	

17.7 मण्डल द्वारा 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या एवं व्यय की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	हितग्राहियों की संख्या	व्यय की गई राशि (रू.)
1	2	3	4
1	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	1,71,255	44,48,057.00
2	शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना	1,682	42,33,500.00
योग		1,72,937	86,81,557.00

टीप :– सरल क्र0 1 में उल्लेखित योजनांतर्गत 1,71,255 यूनिट भोजन श्रमिकों को प्रदाय किया गया है।

18. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के परिपालन में छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का गठन 05 सितम्बर 2008 को किया गया।

18.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण क्षेत्र में कार्यरत् श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निम्न अधिनियम प्रवर्तित किये गये हैं -

(1) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(2) छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

18.2 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से तात्पर्य

- भवनों, मार्गों, सड़कें, रेल्वे मार्ग व ट्रेक, ट्रामवे, हवाई मैदान जैसे निर्माण कार्य।
- सिंचाई, जल निकास, तटबंध, नौ परिवहन, संकर्म, बाढ़ नियंत्रण कार्य (वृष्टिजल निकास संकर्म भी)
- विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण, जल संकर्म (जिसमें जल के वितरण के लिये सारणियाँ)
- तेल तथा गैस प्रतिष्ठानों, विद्युत लाईनों, बेतार, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, तार तथा विदेश संचार माध्यम निर्माण कार्य।
- बांध, नहर, जलाशय, जल सारणियाँ, सुरंग, पुल, सेतु, जल सेतु।
- पाइप लाइन, मीनार शीतलन, मीनार (टावर) पारेषण सम्मिलित किया गया है।
- इसमें ऐसे कार्य भी है जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें या उनके संबंध में सन्निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अनुरक्षण या गिराया जाना शामिल है, परन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य सम्मिलित नहीं होंगे जिनमें कारखाना अधिनियम, 1948 अथवा खदान अधिनियम, 1952 के प्रावधान लागू होते हों।

18.3 निर्माण श्रमिक से तात्पर्य

जो किसी भवन या निर्माण कार्य में कुशल, अर्द्ध कुशल या अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षकीय, तकनीकी अथवा लिपकीय कार्य भाड़े या पारिश्रमिक के लिये करता हो। नियोजन के निबन्धन प्रकट हों या विवक्षित हो, किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है ।

18.4 निर्माण श्रमिक के प्रवर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े हुए निम्नांकित 60 प्रकार के प्रवर्गों के श्रमिकों को भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के रूप में अधिसूचित किया गया है :–

1. पत्थर काटने वाले या पत्थर तोड़ने वाले या पत्थर पीसने वाले, 2. राजमिस्त्री (मैसन) या ईटों पर रद्दा करने वाले 3. बढ़ई (कारपेंटर) लकड़ी की सामग्रियों में पेंटिंग एवं वार्निशिंग करने वाले कर्मकार, 4. पुताई करने वाले (पेंटर), 5. फिटर या बार वेंडर, 6. सड़क के पाईप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर, नाली निर्माण एवं नल संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 7. इलेक्ट्रिशियन, विद्युत वायरिंग, वितरण एवं पैनल फिटिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 8. मैकेनिक, 9. कुएं खोदने वाले, 10. वेल्डिंग करने वाले, 11. मुख्य मजदूर, 12. मजदूर (रेजा–कुली), 13. स्प्रेमेन या मिक्सरमेन (सड़क बनाने में लगे), 14. लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले, 15. कुएं में गाद (तलछट) हटाने वाले गोताखोर, 16. हथोड़ा चलाने वाले, 17. छप्पर डालने वाले, 18. लोहार, 19. लकड़ी चीरने वाले, 20. कॉलकर, 21. मिश्रण करने वाले (कांक्रिट मिक्सर चलाने वाले सहित), 22. पंप ऑपरेटर, 23. मिक्सर मशीन चलाने वाले, 24. रोलर चालक, 25. बड़े यांत्रिकी कार्य जैसे भारी मशीनरी, पुल के कार्य आदि में लगे खलासी, 26. चौकीदार एवं सिक्योरिटी गार्ड, 27. मोजाईक पॉलिश करने वाले, 28. सुरंग कर्मकार, 29. संगमरमर/कड़प्पा पत्थर, मारबल, स्लैब कटिंग, पॉलिश एवं टाईल्स संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 30. सड़क कर्मकार, 31. चट्टान तोड़ने वाले एवं खनि कर्मकार, 32. सन्निर्माण कार्य से जुड़े मिट्टी का कार्य करने वाले, 33. चूना बनाने की क्रिया में लगे कर्मकार, 34. बाढ़ कटाव रोधी कार्य में लगे कर्मकार, 35. बांध, पुल, सड़क या किसी भवन सन्निर्माण संक्रिया में नियोजन में लगे कोई अन्य प्रवर्ग के कर्मकार, 36. ईट भट्ठा, खपरा, फ्लाई एश, टाईल्स मजदूर, 37. पंडाल सन्निर्माण में लगे कर्मकार, 38. बंसोड़, 39. कुम्हार, 40. सीमेंट पोल, सीमेंट की जाली, गमले, पाईप, टंकी आदि बनाने वाले कर्मकार, 41. रेत या गिट्टी मजदूर, 42. निर्माण में अग्निशमन संयंत्र लगाने वाले श्रमिक, 43. एयर कण्डीशनर, शीतलीकरण, वाष्पीकरण यंत्र तथा गीजर जैसे उपकरणों, 44. लोहे के ग्रिल, खिड़कियां, दरवाजे बनाने व लगाने वाले कर्मकार, 45. भवनों में कारपेट का काम करने वाले कर्मकार, 46. लिफ्ट एवं एस्केलेटर लगाने तथा रखरखाव करने वाले कर्मकार, 47. सोलर पैनल निर्माण करने वाले, लगाने/मरम्मत करने वाले कर्मकार, 48. माड्यूलर किचन निर्माण करने वाले कर्मकार, 49. पी.ओ.पी. का कार्य करने वाले, फॉल्स सीलिंग, लाईटिंग जैसे आंतरिक साज–सज्जा संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 50. सेन्ट्रींग कर्मकार, 51. सुरक्षा दरवाजे, सुरक्षा यंत्र लगाने वाले एवं बनाने वाले कर्मकार, 52. जल संरक्षण (Water Harvesting) से संबंधित कार्य करने वाले कर्मकार, 53. काँच एवं Glass Panels की कटिंग करने और लगाने संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 54. खेल मैदान, स्वीमिंग पुल, गोल्फ कोर्स जैसे मनोरंजन स्थल का निर्माण करने वाले कर्मकार, 55. बस स्टॉप, डिपो, स्टैण्ड, रोड सिगनल, संकेतक (साईन बोर्ड) एवं इनसे संबंधित निर्माण करने तथा लगाने वाले कर्मकार, 56. फौव्वारा निर्माण करने एवं लगाने वाले कर्मकार, 57. सार्वजनिक उद्यान, फुटपाथ निर्माण, लैण्ड स्कैपिंग संबंधी कार्य करने वाले कर्मकार, 58. निर्माण कार्य में लगने वाले सामग्री रेत, ईंट, गिट्टी, मुरूम आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन के वाहन चालक, 59. मलबा/कचरा हटाने वाले कर्मकार, 60. रेत, मुरूम, गिट्टी, सीमेंट तथा ईंट को स्थल से निकालने वाले एवं लोडिंग एवं अनलोडिंग करने वाले कर्मकार।

18.5 स्थापनाओं का पंजीयन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत उन स्थापनाओं का पंजीयन अनिवार्य किया गया है, जहाँ 10 अथवा 10 से अधिक निर्माण श्रमिकों का नियोजन किया गया हो।

18.6 हितग्राही पंजीयन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रत्येक निर्माण श्रमिक का पंजीयन मण्डल के द्वारा किया जाता है।

18.6.1 पंजीयन हेतु अर्हताएं

- ➢ निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन हेतु निर्धारित आयु सीमा 18 वर्ष से कम नहीं किन्तु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- ➢ विगत एक वर्ष में भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस कार्य करने संबंधी नियोजक/श्रमिक संघ/श्रम निरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- ❖ किसी भी च्वाईस सेंटर (लोक सेवा केन्द्र) से श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in से ऑन–लाईन आवेदन कर सकते हैं।

18.6.2 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

- ➢ पंजीयन हेतु लाईव फोटो अनिवार्य है।
- ➢ आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची अथवा जन्म प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
- ➢ आधार कार्ड।
- ➢ राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
- ➢ मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता नंबर (बैंक खाता की छायाप्रति अपलोड किया जाना) अनिवार्य।
- ❖ पंजीयन के संबंध में सूचना श्रमिक को उसके द्वारा दी गई मोबाईल नंबर पर दी जाती है जिसके उपरांत वह पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधित लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर से प्राप्त कर सकता है।
- ❖ पंजीयन/अभिदाय शुल्क निःशुल्क।

18.7 पंजीयन के नवीनीकरण की प्रक्रिया

- ➢ प्रथम बार पंजीयन के 05 वर्ष पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक है। नवीनीकरण की वैद्यता 01 वर्ष होगी।
- ➢ पंजीयन के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज पंजीयन की प्रक्रिया के समान ही होंगे।
- ➢ स्व–घोषणा पत्र।
- ➢ पंजीयन नवीनीकरण शुल्क निःशुल्क।

18.8 मण्डल में पंजीकृत श्रमिकों की जिलेवार संख्या

क्र.	जिला	दिनाक 01 जनवरी 2022 से दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक पंजीयन				मण्डल गठन से दिनांक 3112.2022 तक कुल पंजीयन			
		महिला	पुरूष	ट्रांजेन्डर	महायोग	महिला	पुरूष	ट्रांजेन्डर	महायोग
1	रायपुर	14252	4932	3	19187	241452	67895	41	309388
2	बलौदा बाजार	2820	637	0	3457	57594	25931	3	83528
3	गरियाबंद	2117	413	0	2530	30179	16347	24	46550
4	धमतरी	6128	1155	0	7283	44452	28328	4	72784
5	महासमुंद	26	9	0	35	65098	39496	6	104600
6	बिलासपुर	1197	637	0	1834	89241	39202	9	128452
7	मुंगेली	1422	945	0	2367	15345	13862	12	29219
8	कोरबा	357	502	0	859	60933	19069	5	80007
9	जांजगीर–चाम्पा	155	63	0	218	109273	30509	9	139791
10	रायगढ़	5609	1783	1	7393	52674	24672	10	77356
11	गोरेला–पेंड्रा–मरवाही	623	514	1	1138	4633	3185	1	7819
12	बस्तर	1684	1097	1	2782	16901	13775	2	30678
13	कोंडागांव	922	1005	3	1930	8812	7815	5	16632
14	कांकेर	1803	792	0	2595	20978	13217	1	34196
15	दन्तेवाड़ा	823	734	0	1557	8815	6828	0	15643
16	सुकमा	528	554	0	1082	17721	14172	34	31927
17	नारायणपुर	1692	1062	0	2754	5932	4075	0	10007
18	बीजापुर	1130	506	2	1638	5080	3715	3	8798
19	सरगुजा	1911	837	1	2749	20641	13913	9	34563
20	सुरजपूर	1495	905	2	2402	42627	38520	15	81162
21	बलरामपुर	787	772	0	1559	15377	23742	5	39124
22	कोरिया	1244	703	0	1947	29722	32237	15	61974
23	जशपुर	2065	825	0	2890	13914	8305	2	22221
24	दुर्ग	7067	1652	0	8719	52093	17620	8	69721
25	राजनांदगांव	13678	2857	1	16536	55955	15525	2	71482
26	बालोद	635	185	0	820	48755	24274	13	73042
27	बेमेतरा	5045	1318	0	6363	36695	17890	5	54590
28	कवर्धा	9808	1517	0	11325	37756	15446	2	53204
	महायोग	87023	28911	15	115949	1208648	579565	245	1788458

18.9 श्रमिकों के पंजीयन को बैंक खाता, आधार एवं मोबाईल नंबर से लिंकिंग संबंधी विवरण

क्र.	विवरण	(01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक)	मण्डल गठन से दिनांक 31.12.2022 तक
1	मण्डल में पंजीकृत हितग्राही	115949	1788458
2	आधार लिंकिंग	115949	1735003
3	बैंक अकाउंट लिंकिंग	115949	1484619
4	मोबाईल नंबर लिंकिंग	115949	1735134

18.10 छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं

18.10.1 मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना

हितलाभ : निःशुल्क 01 सायकल या सायकल की मूल्य राशि छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।

पात्रता : मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से 35 वर्ष की आयु समूह की महिला हितग्राहियों को एवं 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पुरूष श्रमिक जिसने पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में मण्डल में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो तथा मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना का लाभ न लिया हो।

18.10.2 मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना

हितलाभ : निःशुल्क 01 सिलाई मशीन या सिलाई मशीन की मूल्य राशि छ.ग. राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित दर पर देय होगा।

पात्रता :

(1) मण्डल में पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष तक हो।

(2) पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक की पंजीयन की अवधि 90 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

(3) मण्डल की मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा राज्य शासन के किसी विभाग, उपक्रम, मण्डल, निगम अथवा राज्य शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से टेलरिंग ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

(4) राज्य शासन द्वारा संचालित किसी समानान्तर योजना के अंतर्गत सिलाई मशीन अथवा सिलाई मशीन के मूल्य के बराबर राशि प्राप्त न किया हो।

(5) मण्डल द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना के अंतर्गत सायकल या उसके मूल्य के बराबर राशि प्राप्त करने वाली पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपात्र होंगी।

18.10.3 मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना

हितलाभ : निर्माण श्रमिक को पंजीकृत प्रवर्ग के आधार पर संबंधित ट्रेड जैसे – राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, रेजा–कुली, पेंटर, कारपेंटर आदि उपकरण/औजार मण्डल द्वारा देय होंगे।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु के पंजीकृत निर्माण श्रमिक।

18.10.4 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दो वर्ष में एक बार योजना का लाभ दिया जावेगा। हेलमेट, जूता, दस्ताना, सेफ्टी जैकेट एवं मॉस्क हेतु सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा निर्धारित दर अथवा रूपये 1500/– जो भी कम हो, हितग्राही द्वारा सामग्री स्वयं के व्यय पश्चात् देयक के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

18.10.5 मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ :

1.	कक्षा 1 से 5	–	रू. 1,000,	छात्रा – रू. 1,500
2.	कक्षा 6 से 8	–	रू. 1,500,	छात्रा – रू. 2,000
3.	कक्षा 9 से 12	–	रू. 2,000,	छात्रा – रू. 3,000
4.	स्नातक	–	रू. 3,000,	छात्रा – रू. 6,000
5.	स्नातकोत्तर	–	रू. 5,000,	छात्रा – रू. 6,000
6.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम	–	रू. 6,000,	छात्रा – रू. 8,000
7.	स्नातकोत्तर स्तर का व्यवसायिक पाठ्यक्रम	–	रू. 8,000,	छात्रा – रू. 10,000 रूपये देय होगा।

पात्रता : आवेदन की तिथि से पूर्व के 1 वर्ष की अवधि में हितग्राही कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत् हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम दो बच्चे हेतु कक्षा 01 से स्नातकोत्तर तक लाभ देय होगा।

18.10.6 मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना

हितलाभ : 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने पर निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि देय :–

1.	कक्षा 10 वीं एवं 12 वीं	– रू. 5,000,	छात्रा – रू. 5,500
2.	समस्त स्नातक कक्षा	– रू. 7,000,	छात्रा – रू. 7,500
3.	समस्त स्नातकोत्तर कक्षा	– रू. 10,000,	छात्रा – रू. 10,500
4.	समस्त व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रोफेसनल शिक्षा	– रू.12,000,	छात्रा – रू.12,500

5. छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कक्षा दसवीं एवं बारहवीं में प्रावीण्य सूची के प्रथम 10 में आने पर रूपये 1 लाख।

6. व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश/प्रत्येक शिक्षा सत्र की प्रवेश शुल्क/समस्त शैक्षणिक शुल्क जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं में लागू शुल्क के बराबर हो प्रदाय किया जावेगा। छात्र/छात्राओं को छात्रावास में रहने एवं भोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष कॉपी–किताब एवं स्टेशनरी हेतु रूपये 2,000/– मण्डल द्वारा पृथक से देय होगा। (व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रतिशत की बाध्यता नहीं है।)

पात्रता : मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक हैं।

18.10.7 विशेष शिक्षा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत श्रमिक की पंजीयन के एक वर्ष पश्चात् मृत्यु की दशा में मण्डल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा उन्हें मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र–छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/तकनीकी शिक्षा सहायता योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार प्रदान किया जाएगा।

पात्रता :
- ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात् होती है, तो मण्डल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा।
- मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता–पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

18.10.8 मिनीमाता महतारी जतन योजना

हितलाभ : मण्डल अंतर्गत पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रथम दो बच्चों के प्रसव हेतु मण्डल द्वारा राशि रू. 20,000/– एकमुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात् प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है।

18.10.9 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ :

1. योजनांतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित प्रवर्गों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
2. योजनांतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रूपये 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रूपये

2.00 लाख एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।) पुनर्वास सहायता छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वे योजनाएं जो इन पंजीकृत श्रमिकों पर लागू होंगे, के लिये पात्र होंगे।

18.10.10 दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : 20,000/– रूपये अथवा वास्तविक चिकित्सा व्यय जो भी कम हो देय होगा।

पात्रता : मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिसने मण्डल में निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्ण कर लिया हो, को योजना का लाभ देय होगा।

18.10.11 निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत 18 से 50 आयु समूह के पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिकों का समूह जो स्व–सहायता योजना के तहत पंजीकृत हो, को ई–रिक्शा हेतु मण्डल का अंशदान राशि रूपये 1,00,000/– स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। बैंक से ऋण स्वीकृति दिनांक से 90 दिवस के भीतर आवेदन सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करने पर सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी द्वारा मण्डल का अंशदान राशि रूपये 1,00,000/– हितग्राही के बैंक खाते में देय होगा।

18.10.12 मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना

हितलाभ : निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण यथा राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन इत्यादि एवं समय–समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा। संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र दिया जावेगा । प्रशिक्षण के दौरान श्रमिक को उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन के मान से मानदेय देय होगा।

पात्रता : मण्डल में 18 से 50 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

18.10.13 बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित प्रवर्गों के बंधक श्रमिकों हेतु कुल रूपये 4000 दिया जाना प्रावधानित है, जिसमें से रूपये 2000 बंधक बनाये गए श्रमिक को वापस लाने हेतु एवं रूपये 2000 श्रमिक के स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र के लिए दिया जाता है।

18.10.14 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

हितलाभ : पंजीकृत निर्माण महिला श्रमिक को अथवा पंजीकृत पुरूष श्रमिक की पत्नी को भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नया गैस कनेक्शन लिये जाने हेतु राशि का भुगतान मण्डल द्वारा खाद्य विभाग को प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

18.10.15 मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना

हितलाभ : योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य स्थलों पर, चॉवड़ी में एवं शिविर/सम्मेलनों का आयोजन कर पंजीयन अधिकारी द्वारा निर्माण श्रमिकों का पंजीयन/योजना का आवेदन किया जावेगा।

18.10.16 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चों को भारत सरकार द्वारा लागू योजना, खेलो इण्डिया योजना के अंतर्गत चिन्हित खेल जैसे – एथलेटिक्स, कबड्डी, खोखो, फुटबाल, बालीबॉल, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, कुश्ती, हॉकी, तैराकी तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत स्वीकृत/मान्यता प्राप्त समस्त खेलों में जिला/संभाग/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना प्रावधानित है –

(1) जिला स्तर पर राशि रूपये – 1,000/–
(2) संभाग स्तर पर राशि रूपये – 2,000/–
(3) राज्य स्तर पर राशि रूपये – 5,000/–
(4) राष्ट्रीय स्तर पर राशि रूपये – 50,000/–

पात्रता : 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चे को योजना के लाभ की पात्रता होगी।
2. योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को देय होगा, जिनकी उत्कृष्टता खेल विभाग द्वारा प्रमाणित हो।

18.10.17 श्रम मित्र योजना

हितलाभ : मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन एवं संचालित योजनाओं में पंजीकृत श्रमिकों को अधिकाधिक लाभांवित किये जाने हेतु पंजीकृत निर्माण श्रमिकों में से चयनित श्रमिक को श्रम मित्र/संयोजक बनाये जाने का प्रावधान है। निर्माण श्रमिकों को पंजीयन एवं योजना लाभ हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से श्रम मित्रों को प्रति पंजीयन/योजना आवेदन हेतु 50/– रूपये किसी भी माह में अधिकतम 5000/– रूपये एवं संयोजक द्वारा श्रम मित्रों से निर्माण श्रमिकों के पंजीयन/योजना हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की अभिस्वीकृति होने पर प्रति आवेदन रूपये 15/– किसी भी माह में अधिकतम रूपये 7,500/– प्रोत्साहन भत्ता मण्डल द्वारा दिये जाने का प्रावधान है।

18.10.18 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

हितलाभ : मृत्यु पर 1,00,000/– रूपये एवं स्थायी दिव्यांगता पर 50,000/– रूपये मण्डल द्वारा एकमुश्त भुगतान देय होगा।

पात्रता : 18 से 60 आयु वर्ग के पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना के लिए पात्र होंगे। निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।

18.10.19 मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना

हितलाभ : योजना के तहत् हिताधिकारी द्वारा मण्डल में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार के रूप में अधिसूचित प्रवर्ग में पंजीयन/पंजीयन नवकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का संबंधित क्षेत्राधिकारिता के पंजीयन अधिकारी द्वारा पात्रता की जांच उपरांत आवेदन स्वीकृति होने पर हिताधिकारी स्वतः ही योजनांतर्गत लाभान्वित होगा एवं निःशुल्क अपना श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा एवं निर्धारित पंजीयन/नवकरण अभिदाय शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति मण्डल द्वारा की जावेगी।

पात्रता : निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन होना अनिवार्य है।

18.10.20 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को 5 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं अचार) प्रदाय किया जाता है।

18.10.21 मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना

हितलाभ : निर्माण श्रमिक के 02 पुत्रियों को 20—20 हजार रूपये राशि देय होगी।

पात्रता : पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष तथा अधिकतम 21 वर्ष हो तथा वह अविवाहित हो एवं कम से कम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् किया जावेगा।

18.10.22 मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना

हितलाभ : हितग्राहियों को राशि रू. 20,000/— एकमुश्त मण्डल द्वारा देय होगा।

पात्रता : योजनांतर्गत न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम आयु 60 वर्ष के निर्माण श्रमिक जो मण्डल अंतर्गत विगत 03 वर्ष से पंजीकृत हो।

18.10.23 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना

हितलाभ : श्रमिकों द्वारा समस्याओं का निराकरण, पंजीयन प्रक्रिया, योजना के आवेदन की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के संबंध में जानकारी व समाधान प्राप्त कर सकेंगे।

पात्रता : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

18.10.24 मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना

हितलाभ : श्रमिकों के पंजीयन, मण्डल अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रमिकों को देय अन्य लाभ के संबंध में त्वरित सहायता प्रदाय करना।

पात्रता : छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचित सभी प्रकार के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा।

18.10.25 निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना

हितलाभ : कक्षा 1 से 8 वीं तक राशि रूपये 1,000/— एवं कक्षा 9वीं से 12 वीं तक राशि रूपये 2,000/— शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

पात्रता : मण्डल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 बच्चों को मण्डल में संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने पर उक्त सहायता राशि अतिरिक्त देय होगा।

18.11 योजनावार लाभान्वित हितग्राहियों का विवरण

क्र0	योजना का नाम	दिनांक 01.01. 2022 से 31.12. 2022 तक लाभान्वित श्रमिक संख्या	मण्डल गठन से अब तक दिनांक 31.12.2022 तक लाभान्वित श्रमिक संख्या
1	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना	190338	202986
2	मिनीमाता महतारी जतन योजना	17394	142175
3	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना	43712	847601
4	मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना	1736	77457
5	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना	7	46
6	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना	19242	19242
7	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना	10041	509665
8	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना	10	333105
9	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना	315	101740
10	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना	1800	235359
11	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना	8853	143420
12	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना	87364	171071
13	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	283925	1110114
14	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	0	167231
15	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना	0	21
16	श्रम मित्र योजना	0	56666
17	सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना	0	8
18	निर्माण श्रमिक ई–रिक्शा सहायता योजना	75	763
19	दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना	1	129
20	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	2294	6784
21	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना	85	85
22	विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना (दिनांक 09.06.2020 से यह योजना मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना में विलय किया गया है)	0	31392

23	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Convrged) योजना	0	143664
24	मिनीमाता कन्या विवाह योजना	0	97749
25	गंभीर बीमारी हेतु चिकित्सा सहायता योजना	0	102
26	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना	0	876
27	गरीबी रेखा से ऊपर के निर्माण श्रमिक हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	0	493863
28	मुख्यमंत्री चलित झुलाघर योजना	0	102
29	अटल पेंशन योजना	0	130
30	निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना	0	65176
31	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	0	99792
32	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना	0	4475
योग		**667192**	**5062989**

टीप 1. सरल क्र0 22 से 32 तक योजनाएं वर्तमान में संचालित नहीं है।

2. सरल क्र0 13 में उल्लेखित योजनांतर्गत 2,83,925 यूनिट भोजन निर्माण श्रमिकों को प्रदाय किया गया है।

18.12 मण्डल की वित्तीय व्यवस्था

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रदेश में संचालित निर्माण कार्यों से निर्माण लागत का एक प्रतिशत (जमीन की लागत एवं कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अंतर्गत भुगतान की गई क्षतिपूर्ति राशि को छोड़कर) उपकर मण्डल को भुगतान किये जाने का प्रावधान है, केवल 10 लाख रूपये तक के निजी आवास हेतु निर्माण कार्य को उपकर भुगतान से छूट प्राप्त है।

वर्षवार उपकर संग्रहण की जानकारी निम्नानुसार है –

क्र.	वर्ष	प्राप्त उपकर राशि (रूपये में)
1	2008-09	4387
2	2009-10	35524761
3	2010-11	384184437
4	2011-12	624016347
5	2012-13	852742070
6	2013-14	1348125824
7	2014-15	1319246656
8	2015-16	1268983537
9	2016-17	1725204504
10	2017-18	1783936126
11	2018-19	1997075475
12	2019-20	1636160248
13	2020-21	1723363287
14	2021-22	1910714554
15	2022-23 (31 दिसम्बर 2022 तक)	1577971262
कुल योग		**18187253475**

18.13 मण्डल का व्यय

मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों पर वर्ष 2022–23 (दिसम्बर, 2022 तक) में कुल राशि रूपये 13,79,65,26,370/– व्यय हुआ है। वर्षवार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	स्थापना व्यय (राशि रूपये में)	योजनाओं हेतु आबंटित राशि (राशि रूपये में)	कुल योग (राशि रूपये में)
1	2008-09	0	0	0
2	2009-10	532726	33560	566286
3	2010-11	10785249	23908726	34693975
4	2011-12	4787818	117857380	122645198
5	2012-13	7114131	572045830	579159961
6	2013-14	7937116	1034413834	1042350950
7	2014-15	9825142	620024024	629849166
8	2015-16	18750261	1200716764	1219467025
9	2016-17	21547984	1768688740	1790236724
10	2017-18	64082129	1916891653	1980973782
11	2018-19	76279765	1859423877	1935703642
12	2019-20	24667838	1126276954	1150944792
13	2020-21	30401167	1050568799	1080969966
14	2021-22	38137379	884322829	922460208
15	2022-23 (दिसम्बर 2022 तक)	28645803	1277858892	1306504695
कुल योग		**343494508**	**13453031862**	**13796526370**

19. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल

19.1 असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 सहपठित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम, 2010 के परिपालन में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन दिनांक 04.01.2011 को किया गया।

19.2 **(अ) असंगठित कर्मकार का आशय है**

- स्वनियोजित कर्मकार,
- घरों में काम करने वाले,
- मजदूरी पर नियोजित,
- कृषि श्रमिक अथवा भूमिहीन या सीमान्त कृषक
- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार, जिनकी मासिक आय शहरी क्षेत्र में 15 हजार एवं ग्रामीण क्षेत्र में 10 हजार से कम हो।

(ब) निम्न अधिनियम की परिधि में आने वाले कर्मकार असंगठित कर्मकार नही होंगे

- कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961
- उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

19.3 **मण्डल के कार्य**

- असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा करना।
- अधिनियम के संचालन हेतु राज्य शासन को सलाह देना।
- असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण करना।
- जिला स्तर पर संधारित किये जाने वाले अभिलेखों की समीक्षा।
- असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, स्मार्ट कार्ड आदि की समीक्षा।
- विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत व्यय की समीक्षा।
- राज्य शासन द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व निर्वहन।

19.4 अधिसूचित किये गए असंगठित कर्मकारों का प्रवर्ग

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 14(1) के अंतर्गत 56 प्रवर्ग के कर्मकारों को राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

1. धोबी, 2. दर्जी, 3. माली, 4. मोची 5. नाई, 6 बुनकर, 7. रिक्शा चालक, 8. घरेलू कामगार, 9. कचरा बिनने वाले, 10. हाथ ठेला चलाने वाले, 11. फुटकर सब्जी, फल–फुल विक्रेता, 12. चाय, चाट, ठेला लगाने वाले, 13. फुटपाथ व्यापारी, 14. हमाल, कुली रेजा, 15. जनरेटर/लाईट उठाने वाले, 16. केटरिंग में कार्य करने वाले, 17. फेरी लगाने वाले, 18. मोटर सायकल/सायकल मरम्मत करने वाले, 19. गैरेज मजदूर, 20. परिवहन में लगे मजदूर, 21. ऑटो चालक, 22. सफाई कामगार 23. ढोल/बाजा बजाने वाले, 24 टेंट हाउस में काम करने वाले, 25. वनोपज में लगे मजदूर, 26. मछुआरा, 27. दाई का काम करने वाली, 28. तांगा/बैलगाड़ी चलाने वाले, 29. तेल पेरने वाले, 30. अगरबत्ती बनाने वाले, 31. गाड़ीवान, 32. घरेलू उद्योग में लगे मजदूर, 33. भड़भूजे (मुर्रा चना फोड़ने वाले), 34. पशुपालन/मत्स्य पालन, मुर्गी/बतख पालन में लगे मजदूर, एवं करने वाले, 35. दुकानों में काम करने वाले मजदूर, 36. खेतीहर मजदूर, 37. राउत, चरवाहा, दूध दूहने वाले, 38. मितानीन, 39. नाव चलाने वाले (नाविक), 40. कंसारी, 41. नट–नटनी 42. देवार 43. शिकारी, 44. अन्य घुमंतु जाति, 45. खैरवार, 46. रसोईया, 47. हड्डी बिनने वाले (हड्बिन्ने) 48. काष्ठागार में काम करने वाले हमाल, 49. समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर), 50. सिनेमा घर में कार्यरत लाईटमैन, स्पॉट बॉय, कैमरा मैन, मेकअप मैन, 51. सोना चांदी की दुकानों में काम करने वाले कारीगर, 52. कोटवार, 53. ठेका मजदूर (छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की परिधि में आने वाले ठेका मजदूर तथा ई0एस0आई0 एवं भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर), 54. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 55. आंगनबाड़ी सहायिका, 56. सेक्स वर्कर।

19.5 असंगठित कर्मकार पंजीयन हेतु आवेदन की प्रक्रिया

- श्रम विभाग के वेबसाईट www.cglabour.nic.in में पंजीयन हेतु आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर से कर सकते हैं।
- श्रम विभाग के मोबाईल ऐप "श्रमेव जयते" में भी पंजीयन हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
- पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज :–
  - आयु प्रमाण पत्र (अंक सूची, मतदाता परिचय पत्र या जन्म प्रमाण–पत्र)।
  - स्व–घोषणा प्रमाण पत्र
  - आय प्रमाण पत्र
  - आधार कार्ड।
  - बैंक के पासबुक की छायाप्रति।
  - राशन कार्ड (वैकल्पिक)।
  - स्मार्ट कार्ड (वैकल्पिक)।
  - मोबाईल नंबर (आवेदन के पंजीयन/योजनाओं के लाभ की सूचना प्रदत्त करने हेतु)।
  - लाईव फोटो।
- पंजीयन के लिये शुल्क देय नहीं है।

19.6 हितग्राही पंजीयन

क्र.	विवरण	01.01.2022 से 31.12.2022 तक	मण्डल गठन से दिनांक 31.12.2022 तक
1	मण्डल में पंजीकृत हितग्राही	1,54,047	16,08,508
2	आधार लिंकिंग	1,54,047	13,85,429
3	बैंक अकाउंट लिंकिंग	1,54,047	14,00,072
4	मोबाईल नंबर लिंकिंग	1,54,047	11,00,964

19.7 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल द्वारा संचालित योजनाएं

19.7.1 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता :
- 18 से 40 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत महिला कर्मकार।
- मण्डल के सिलाई मशीन योजना अथवा राज्य शासन की किसी अन्य योजना से सायकल प्राप्त करने वाले हितग्राही अपात्र होंगे।

19.7.2 मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना

हितलाभ : एक सिलाई मशीन (प्रति हितग्राही) देय होगा।

पात्रता :
- पंजीकृत महिला श्रमिक जो 18 से 50 वर्ष आयु समूह की हो।
- वह महिला कर्मकार जो सिलाई कढ़ाई, बुनाई (दर्जी) का काम करती है या किसी नियोजक के यहां कार्यरत् है अथवा स्वयं का व्यवसाय हो एवं प्रदेश के किसी भी जिले से पंजीकृत हो, को लाभ प्रदाय किया जावेगा।
- मण्डल द्वारा सायकल सहायता योजना अथवा राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

19.7.3 ई-रिक्शा सहायता योजना

हितलाभ : योजना अंतर्गत पंजीकृत रिक्शा/ऑटो चालकों को ई–रिक्शा क्रय हेतु मण्डल का अनुदान राशि रूपये 50,000/– स्वयं का अंशदान राशि रूपये 10,000/– एवं बकाया राशि बैंक से ऋण के माध्यम से हितग्राही द्वारा देय होगा। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मण्डल का अनुदान राशि रूपये 50,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु समूह के पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/ऑटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह।

19.7.4 ई-ठेला सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले को ई–ठेला हेतु मण्डल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मण्डल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु समूह के हाथ ठेला चलाने वाले पंजीकृत कर्मकार।

19.7.5 स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले को स्मार्ट वेडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) हेतु मण्डल का अनुदान राशि रूपये 30,000/– का अनुदान। योजनांतर्गत बैंक से ऋण प्राप्ति का अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही मण्डल का अंशदान राशि रूपये 30,000/– हितग्राही को देय होगा।

पात्रता : 18 से 50 वर्ष आयु समूह के चाय, चाट ठेला लगाने वाले अथवा ठेला लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वाले पंजीकृत कर्मकार।

19.7.6 असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

हितलाभ :
01. पंजीकृत असंगठित कर्मकार की मृत्यु पर रू. 1 लाख।
02. स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में रू. 50 हजार।

पात्रता : मण्डल में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

19.7.7 कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : मण्डल में पंजीकृत कचरा बिनने वाले को सुरक्षा उपकरण (दस्ताना, जूता एवं रेनकोट) प्रदान किया जावेगा।

पात्रता :
– मण्डल में पंजीकृत 18 से 60 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार।
– राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पंजीकृत कर्मकार इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं है।

19.7.8 असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता :
– पंजीकृत असंगठित समाचार पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार।
– राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र होंगे।

19.7.9 असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित कर्मकार को किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुए वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

19.7.10 मुख्यमंत्री राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले सायकल सहायता योजना

हितलाभ : एक सायकल प्रति हितग्राही।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष तक के राऊत, चरवाहा एवं दूध दुहने वाले पंजीकृत असंगठित कर्मकार।
- राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

19.7.11 मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टॉर्च सहायता योजना

हितलाभ : एक नग सायकल एवं टॉर्च हेतु रूपये 750/– प्रति हितग्राही।

पात्रता :
- पंजीकृत असंगठित कर्मकार कोटवार वर्ग की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो।
- राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले असंगठित कर्मकार इस योजना के लाभ हेतु अपात्र होंगे।

19.7.12 फुटकर सब्जी, फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू बाट एवं टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेताओं को मण्डल द्वारा इलेक्ट्रानिक तराजू प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

पात्रता : 18 से अधिक आयु वाले फुटकर सब्जी, फल–फूल विक्रेता प्रवर्ग में पंजीकृत असंगठित कर्मकार।

19.7.13 अटल पेंशन योजना

हितलाभ :

1. मण्डल द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकार के पेंशन खाते में भारत सरकार द्वारा कर्मकार के अंशदान का पचास प्रतिशत अथवा रूपये 1,000/– जो कम हो प्रथम 05 वर्ष तक देय।
2. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा रूपये 500/– अंशदान प्रतिवर्ष पेंशन खाता में दिया जावेगा।

3. इस योजना में जमा अंशदान अनुसार 60 वर्ष की आयु पश्चात हितग्राही को मासिक पेंशन देय होगा।

4. हितग्राही की मृत्यु की दशा में उसके नामित व्यक्ति को पेंशन खाते में जमा राशि ब्याज सहित प्रदाय किया जाता है।

पात्रता : योजना में 18 से 40 वर्ष आयु समूह के असंगठित कर्मकार।

19.7.14 सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना

- छत्तीसगढ़ राज्य के वे असंगठित श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो, इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र होंगे।
- योजना का लाभ हाईजीन प्रयोगशाला द्वारा अथवा किसी अन्य शासकीय चिकित्सालय / चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित होने संबंधी पुष्टि होने पर।
- आवेदन जिले के सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किए जायेंगे।
- योजना के अंतर्गत रूपये 3.00 लाख प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रू. 1.00 लाख हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा तथा रू. 2.00 लाख एफ.डी. के रूप में देय होगा। एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.) होगा। (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी।) मण्डल में असंगठित कर्मकार के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।

19.7.15 धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत 18 से 60 वर्ष वाले धोबी को रूपये 1500/– तक की सामग्री– इलेक्ट्रानिक / कोयला आयरन, क्लाथ्स पिन, वाशिंग पैडल (थप्पी / कुटेला) प्रदान किया जायेगा।

पात्रता :
– 18 से 60 आयु समूह के पंजीकृत धोबी कर्मकार।
– राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

19.7.16 नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : योजनांतर्गत पंजीकृत नाई को 1500/– रूपये तक की सामाग्री कैंची, स्ट्रेट रेजर, कंघी, हेयर कटिंग केप, वाटर स्प्रे बॉटल एवं शेविंग ब्रश सहित नाई किट केवल ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को देय होगा।

पात्रता :
– 18 से 60 आयु समूह के पंजीकृत नाई कर्मकार।
– राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।

19.7.17 असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 500/— से रूपये 5000/— तक पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता :

– पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
– यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

19.7.18 असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 20,000/— की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत असंगठित महिला कर्मकार को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

19.7.19 सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत पंजीकृत सफाई कर्मकार एवं परिवार के सदस्यों को सी.एस.एस.डी.ए. द्वारा चिन्हांकित व्यवसायों में व्ही.टी.पी. के द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मण्डल द्वारा प्रशिक्षणरत् कर्मकार को श्रम विभाग के द्वारा अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से प्रत्येक दिन हेतु मानदेय प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :

– मण्डल द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के पंजीकृत सफाई कर्मकारों को योजना में शामिल किया जावेगा तथा अकुशल श्रमिक की भांति न्यूनतम वेतन मानदेय देय होगा।
– यदि कोई कर्मकार राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है तो इस योजना के लिए अपात्र होगा।

19.7.20 सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 1000/– से रूपये 15000/– तक पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता :
- पंजीकृत सफाई कर्मकार के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
- यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।
- यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर /लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

19.7.21 सफाई कर्मकार के पुत्र-पुत्री हेतु विशेष कोचिंग योजना

हितलाभ : कक्षा दसवी एवं उससे उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतानों) को इंजीनियरिंग, चिकित्सा, सी.ए., एम.बी.ए. अथवा अन्य व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग हेतु लगने वाला शुल्क मण्डल द्वारा देय होगा।

पात्रता :
- पंजीकृत सफाई कर्मकारों के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को विशेष कोचिंग का शुल्क प्रदान किया जावेगा।
- यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य योजनांतर्गत सहायता प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

19.7.22 सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार के शाला/विश्वविद्यालय में अध्ययनरत पुत्र/पुत्री (दो संतान तक) को सायकल।

पात्रता : यदि पंजीकृत सफाई कर्मकार के पुत्र/पुत्री शाला/विश्वविद्यालय में अध्यनरत है तथा उन्हें शिक्षा विभाग से सायकल सहायता योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तभी उन्हें हितलाभ प्रदान किया जावेगा।

19.7.23 सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई महिला कर्मकार को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 20,000/– की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : – पंजीकृत सफाई कर्मकार महिला को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

– सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थाओं में नियमित कार्यरत सफाई कर्मकारों की पत्नी अपात्र होगी।

19.7.24 सफाई कर्मकार आवश्यक उपकरण सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत हितग्राही को आवश्यक उपकरण गमबूट, दस्ताने, मास्क एवं एप्रेन हेतु राशि रूपये 1,000/– प्रतिवर्ष प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : – पंजीकृत सफाई कर्मकार 18 से 60 वर्ष की आयु वाले हितग्राही योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

– राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

19.7.25 सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार को किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/– रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के असंगठित कर्मकार जो मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

19.7.26 ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना

हितलाभ : रूपये 500/– से रूपये 5000/– तक पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के अध्ययनरत 02 पुत्र/पुत्रियों को कक्षावार वार्षिक छात्रवृत्ति एकमुश्त प्रदाय की जायेगी।

पात्रता : – पंजीकृत ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के कक्षा 1 से स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. तक अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

– यांत्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम के पश्चात् न्यूनतम 01 वर्ष अध्ययन की अनिवार्यता होगी। 01 वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि वापस जमा करनी होगी।

– यदि कोई छात्र/छात्रा अन्य शासकीय विभाग/संस्था की अन्य

योजनांतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्राप्त कर रहा है जो उसके लिए हितकर/लाभप्रद है तो वह इस योजना के लिए अपात्र होंगे।

19.7.27 महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक को प्रसव पश्चात् एकमुश्त राशि रुपये 20,000/– की सहायता राशि प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता : पंजीकृत महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक को योजना का लाभ केवल दो बार प्रसव हेतु देय होगा।

19.7.28 हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत असंगठित हमाल कर्मकारों को जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी हेतु रूपये 500/– प्रति हितग्राही देय होगा।

पात्रता :
- 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत हमाल पात्र होंगे।
- राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

19.7.29 घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत घरेलू महिला कामगार को सायकल, छतरी, चप्पल/जूता हेतु रूपये 500/– प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावेगा।

पात्रता :
- इस योजना में 18 से 60 वर्ष के आयु समूह के पंजीकृत घरेलू महिला कामगार पात्र होंगे।
- राज्य शासन द्वारा संचालित अन्य किसी समानांतर योजना से लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो।

19.7.30 घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना

हितलाभ : योजना के अंतर्गत समय–समय पर सी.एस.एस.डी.ए. में पंजीकृत व्ही.टी.पी द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक को स्वयं एवं ठेका श्रमिक एवं हमाल के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।

पात्रता : आयु 18 वर्ष से अधिक तथा मण्डल में घरेलू महिला कामगार एवं ठेका श्रमिक, हमाल कामगार के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

19.7.31 ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना

हितलाभ : पंजीकृत सफाई कर्मकार को किडनी, कैंसर, सिकलिंग (सिकलसेल

एनीमिया), हृदय रोग, एड्स एवं लकवा रोग के ईलाज हेतु 50,000/- रूपये की चिकित्सा सहायता अथवा ईलाज में हुये वास्तविक व्यय जो भी कम हो प्रदाय किया जायेगा।

पात्रता : 18 से 60 वर्ष की आयु के ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक जो मण्डल में कम से कम 90 दिवस पूर्व पंजीकृत हो।

19.7.32 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

हितलाभ : इस योजना के अंतर्गत संचालित केन्द्रों में पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को 5 रूपये में गरम एवं पौष्टिक भोजन (चांवल, दाल, सब्जी एवं अचार) प्रदाय किया जाता है।

19.8 छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को प्राप्त बजट एवं व्यय की जानकारी

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को राज्य शासन द्वारा पंजीकृत असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बजट प्रदान किया जाता है।

19.8.1 वर्ष 2022-23 में बजट की जानकारी

क्र.	मद का नाम	प्राप्त बजट (रूपये)	01.04.2022 से 31.12.2022 तक जिलों को आबंटित बजट (रूपये)
1	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल(7435)	38 करोड़ 25 लाख	36,00,00,000/-
2	असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल(8977)	08 करोड़	3,91,00,000/-
3	ठेका मजदूर, घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मण्डल (8989)	15 करोड़	14,11,35,500/-
योग		61 करोड़ 25 लाख	54,02,35,500/-

19.8.2 योजनांतर्गत लाभान्वित असंगठित कर्मकारों एवं व्यय राशि का विवरण

(1 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक)

क्र.	योजना का नाम	लाभान्वित असंगठित कर्मकार	व्यय राशि (रूपये)
1	मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना	2	1,00,000
2	ई–रिक्शा सहायता योजना	57	28,50,000
3	कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता येाजना	343	0
4	असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना	1,641	16,40,50,000
5	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना	1,43,705	36,10,330
6	असंगठित कर्मकारों के बच्चो हेतु छात्रवृत्ति योजना	1,821	17,77,250
7	असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	14,332	25,34,10,000
8	सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना	406	9,31,000
9	सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना	255	43,95,000
10	सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना	818	0
11	ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं हमाल श्रमिक के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना	1,651	18,50,500
12	महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना	4,488	7,83,76,000
13	घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना	0	3,31,300
योग		**1,69,519**	**51,16,81,380**

टीप :– 01. कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना एवं सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना अंतर्गत वर्ष 2020 में लाभान्वित श्रमिकों को वर्ष 2018–19 में क्रय किये गये सामाग्रियों का वितरण किया गया है।

02. घरेलू महिला कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना के तहत जिला दुर्ग में 26 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की राशि का भुगतान व्हीटीपी को इस वर्ष किया गया है।

03 सरल क्र0 5 में उल्लेखित योजनांतर्गत 1,43,705 यूनिट भोजन असंगठित कर्मकारों को प्रदाय किया गया है।

20. शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना

20.1 श्रम विभाग के अंतर्गत छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल में पंजीकृत संगठित श्रमिक, निर्माण श्रमिक एवं असंगठित कर्मकारों के लिए योजना संचालित है।

20.2 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना संचालित केन्द्रों में पंजीकृत असंगठित एवं निर्माण श्रमिकों को रूपये 5/- में एवं पंजीकृत संगठित श्रमिक को रूपये 10/- में गरम एवं पौष्टिक भोजन (चावल, दाल, सब्जी एवं अचार) प्रदाय किया जाता है।

20.3 शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत संचालित केन्द्रों का विवरण

क्र.	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
01	रायपुर	1. तेलीबांधा 2. गाँधी मैदान 3. उरला 4. मैग्नेटो मॉल
02	दुर्ग	1. कुम्हारी 2. छावनी 3. मरौदा, भिलाई 4. तहसील चौक दुर्ग
03	बिलासपुर	1. बृहस्पति बाजार, 2. तिफरा सब्जी मंडी,
04	राजनांदगांव	1. टेडेसरा 2. टोलागांव (एबीस) 3. कृषि उपज मंडी 4. इंदामरा
05	रायगढ़	1. एन.टी.पी.सी. लारा
06	सरगुजा	1. न्यू बस स्टेंड अंबिकापुर

20.4 वर्तमान में 06 जिलों में कुल 16 केन्द्र संचालित है, जिनमें प्रतिदिन औसतन 1400 श्रमिक गरम एवं पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

21. छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति, 2020

प्रवासी श्रमिकों के हित संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन कर डाटाबेस तैयार कर बेहतर रोजगार की तलाश हेतु सुगम एवं सुरक्षित प्रवास करने हेतु विभिन्न विभाग के समन्वय से छ0ग0 राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 तैयार किया जाकर अधिसूचना दिनांक 19.07.2021 के माध्यम से अधिसूचित किया जा चुका है।

21.1 छत्तीसगढ़ प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के अंतर्गत की गयी कार्यवाही

21.1.1 पलायन पंजी के ऑनलाईन संधारण :- ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रवासी श्रमिकों की ऑनलाईन जानकारी संकलित किये जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा वेब पोर्टल/मोबाईल एप का निर्माण किया गया है। उक्त वेबपोर्टल के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा संधारित की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र (CM Labour Helpline Centre) का संचालन

21.1.2 मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र (C.M. Labour Helpline Centre) :- छ0ग0 राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के हितलाभ संरक्षण, सहायता, शासन की योजनांतर्गत लाभांवित करने एवं उनके शिकायत के निराकरण हेतु 'मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र' का संचालन सितम्बर 2022 से प्रारंभ हो चुका है, जिसका **टोल फ्री नंबर (0771-3505050)** है, जो कि 24x7 संचालित है।

21.1.3 श्रम संसाधन केन्द्र (LRC) एवं प्रवासी सुविधा केन्द्र (MRC) :- छ.ग. राज्य प्रवासी श्रमिक नीति, 2020 के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों की सहायता एवं शिकायत निवारण हेतु राज्य के अंदर प्रत्येक विकासखंड स्तर पर श्रम संसाधन केन्द्र (LRC) एवं अन्य राज्यों जहां छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिक बहुतायत में जाते है, वहां प्रवासी श्रमिक सुविधा केन्द्र (MRC) प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

22. असंगठित श्रमिकों का National Database of Unorganised Workers (NDUW) Portal ई–श्रम पोर्टल में पंजीयन

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के Suo Motu No. 06/2020 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2021 के परिपालन में भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई–श्रम पोर्टल लांच किया गया है।
- उक्त पोर्टल में असंगठित श्रमिक (जिसमें निर्माण श्रमिक भी शामिल हैं) के पंजीयन हेतु प्रदेश के लिये 82.42 लाख असंगठित श्रमिकों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 82.48 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया जाकर, 100 प्रतिशत लक्ष्य को पूर्ण कर लिया गया है।
- दिनांक 31.12.2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य पूरे देश में पंजीयन लक्ष्य प्रतिशत के आधार पर तीसरे स्थान पर है।

23. राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़

23.1 गतिविधियाँ:- यह एक न्यायिक संगठन है, इस संगठन द्वारा श्रमिकों एवं नियोजकों के मध्य उत्पन्न विवादों का निराकरण श्रम विधि के प्रावधान अनुसार किया जाता है। औद्योगिक न्यायालय का गठन औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 9 तथा श्रम न्यायालय का गठन धारा 8 के अंतर्गत किया गया है। औद्योगिक न्यायाधिकरण का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा–7(ए) के अंतर्गत किया गया है। धारा–7(ए) के अनुसार कोई भी औद्योगिक विवाद चाहे वह अधिनियम की अनुसूची–2 का विषय हो अथवा अनुसूची–3 का हो राज्य शासन द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सौंपा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ राज्य में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण/औद्योगिक न्यायालय का गठन दिनांक 01.08.2002 से किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं एक या एक से अधिक सदस्य न्यायाधीश का प्रावधान रखा गया है। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थापित किया गया है। वर्तमान में औद्योगिक न्यायालय का खण्डपीठ बिलासपुर में स्थापित किया गया है, जो 01 जनवरी 2007 से कार्य कर रहा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक न्यायालय के अंतर्गत 14 श्रम न्यायालय क्रमशः श्रम न्यायालय क्रमांक–1 एवं क्रमांक–2 रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद तथा मनेन्द्रगढ़ जिला में स्थापित है।

श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 1–7/2015/16, दिनांक 08.12.2015 के द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम न्यायिक संगठन को माननीय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में लिया गया है।

23.2 उपलब्धियाँ :- श्रम न्यायालयों द्वारा हर वर्ष लाखों रूपयों के अर्थदंड की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कराई जाती है। वर्ष 2022 में 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2022 तक लगभग 5,23,45,150/– रूपये (पांच करोड़ तेईस लाख पैतालिस हजार एक सौ पचास रूपये) अर्थदंड एवं नकल शुल्क रूपये लगभग 65,599/– (पैसठ हजार पांच सौ निन्यानबे रूपये) वसूल कर शासन के खाते में जमा किया गया।

श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम का अधिकार दिया गया है। उनके द्वारा अपने–अपने क्षेत्रों में क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत मृतक श्रमिकों के आश्रित परिवारजनों को क्षतिधन की राशि रूपये 23,16,07,306/– (तेईस करोड़ सोलह लाख सात हजार तीन सौ छः रूपये) का भुगतान कराया गया है।

23.3 संपादित कार्यों का विस्तृत प्रगति विवरण :- औद्योगिक न्यायालय रायपुर एवं औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ, बिलासपुर में 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक 77 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, एवं श्रम न्यायालयों द्वारा 01 जनवरी 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक सिविल प्रकरण 1341 एवं फौजदारी प्रकरण 1978 इस प्रकार कुल 3319 प्रकरणों का निराकरण किया गया।

24. कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, छत्तीसगढ़

24.1 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देश के अन्य राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी लागू है। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने वाली यह योजना सभी कारखानों, सिनेमाघरों, ट्रांसपोर्ट तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, निजी सहायता प्राप्त शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थाओं पर लागू है। संस्थानों में 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत होने पर यह योजना लागू होती है।

24.2 वर्तमान में रुपये 21,000/– प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को भी योजना में सम्मिलित किया गया है। योजना में सम्मिलित श्रमिकों को बीमित व्यक्ति कहा जाता हैं।

24.3 बीमित व्यक्तियों के वेतन से उनके वेतन का 0.75% तथा नियोक्ताओं द्वारा बीमित के वेतन का 3.25% अंशदान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा निगम को जमा करवाना होता है।

24.4 योजना के अनुसार हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ राज्य शासन द्वारा दिया जाता है।

24.5 हितग्राहियों को चिकित्सा हितलाभ देने के लिये वर्तमान में रूपये 2600/– प्रति बीमित व्यक्ति प्रतिवर्ष की सीलिंग निर्धारित की गई है। चिकित्सा हितलाभ देने पर हुए व्यय का शत्–प्रतिशत वहन कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया जाता है।

24.6 कर्मचारी राज्य बीमा निगम (केन्द्रीय शासन का निगम) द्वारा हितग्राहियों को नगद हितलाभ दिये जाते हैं।

24.7 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के अंतर्गत वर्तमान में 10 जिलों में 42 औषधालय कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 5.24 लाख बीमित व्यक्ति तथा उनके परिवार के सदस्य हितलाभ प्राप्त कर रहे हैं।

24.8 राज्य के 17 जिलों के मुख्यालय/म्युनिसिपल क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा योजना लागू की गई है तथा भविष्य में कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें के औषधालय आरंभ किये जायेंगे।

24.9 राज्य शासन द्वारा बीमित हितग्राहियों को कैशलेस आधार पर सेकण्डरी चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस प्रयोजन के लिये राज्य के 68 निजी चिकित्सालयों को अधिकृत किया है।

24.10 बीमित हितग्राहियों को बेहतर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराने तथा उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कर्मचारी राज्य बीमा सोसायटी का गठन किया गया है।

24.11 वर्तमान में कार्यरत औषधालयों/केन्द्रों का जिलेवार विवरण

क्र.	जिला का नाम	क्रमांक	औषधालयों/केन्द्र का नाम
01	रायपुर	1.	फाफाडीह
		2.	बीरगाँव
		3.	कबीर नगर
		4.	चौबे कालोनी
		5.	मंदिरहसौद
		6.	बैकुण्ठ (तिल्दा)
		7.	सेजबहार–डूंडा
		8.	सिलतरा
02	दुर्ग	9.	नंदिनी रोड केन्द्र (खुर्सीपार)
		10.	भिलाई सुपेला केन्द्र
		11.	दुर्ग केन्द्र
		12.	रसमड़ा केन्द्र
		13.	जामुल केन्द्र
		14.	कुम्हारी केन्द्र
		15	रिसाली–मरौदा केन्द्र
		16.	हथखोज केन्द्र
		17.	भिलाई–3
03	राजनांदगांव	18.	राजनांदगांव केन्द्र
		19.	टेडेसरा केन्द्र
		20.	तुमडीबोड़ केन्द्र
04	बिलासपुर	21.	बिलासपुर केन्द्र
		22.	बिल्हा केन्द्र
		23.	सीपत
05	रायगढ़	24.	रायगढ़ केन्द्र
		25.	पतरापाली केन्द्र
		26.	तराईमाल केन्द्र
		27.	जामगाँव केन्द्र
		28.	भूपदेवपुर
		29.	तमनार
		30.	सारंगढ़–चन्द्रपुर
06	जांजगीर–चांपा	31.	चॉपा केन्द्र
		32.	अकलतरा केन्द्र
07	कोरबा	33.	कोरबा केन्द्र
		34.	बाल्को नगर केन्द्र
		35.	दर्री जमनीपाली
		36.	पताड़ी केन्द्र (कोरबा)
		37.	दीपका
08	बलौदाबाजार	38.	बलौदाबाजार
		39.	भाटापारा
		40.	हिरमी
09	धमतरी	41.	धमतरी केन्द्र
10	गरियाबंद	42.	नवापारा–राजिम

24.12 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें की पद संरचना :-

श्रेणी	स्वीकृत पद
प्रथम श्रेणी	21
द्वितीय श्रेणी	145
तृतीय श्रेणी	533
चतुर्थ श्रेणी	281
कुल	980

24.13 कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें का बजट प्रावधान तथा व्यय :-

वित्त वर्ष	बजट प्रावधान (रूपये में)	कुल व्यय (रूपये में)
2022—23	1,31,35,00,000	94,57,48,264 (माह दिसम्बर तक)

24.14 योजना के अन्तर्गत गम्भीर बीमारियों के मरीजों को राज्य के बाहर स्थित देश के प्रतिष्ठित चिकित्सालयों में संदर्भित कर उपचार कराया जाता है।

24.15 शीघ्र आरंभ होने वाले नये औषधालय :- तिल्दा (रायपुर), उरला (रायपुर), लारा (रायगढ़) एवं खरसीया (रायगढ़) में 1—1 औषधालय शीघ्र प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

24.16 आगामी कार्य योजना :-

24.16.1 हितग्राहियों को अंतः रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये रायपुर तथा कोरबा में 100 बिस्तरयुक्त एक—एक चिकित्सालय का निर्माण कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा किया गया है। इन चिकित्सालयों में बीमित हितग्राहियों के उपचार हेतु ओ.पी.डी. सुविधा आरंभ की जा चुकी है। भिलाई तथा रायगढ़ में 100 बिस्तरयुक्त चिकित्सालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

24.16.2 इसके अतिरिक्त बिलासपुर में 100 बिस्तर चिकित्सालय निर्माण की स्वीकृति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई है। राज्य शासन द्वारा निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। भूखण्ड उपलब्ध होने के पश्चात् कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शीघ्र निर्माण किया जावेगा।

—— 000 ——

माननीय श्रम मंत्री जी द्वारा ''मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना'' के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित करते हुए

माननीय श्रममंत्री जी द्वारा राजिम माघी पुन्नी मेला वर्ष 2023 में हितग्राही को लाभांवित करते हुए